

मासिक

अरफ़ात किरण

रायबरेली

आलम-ए-अरब की खब्ब

“मुसलमान आलम-ए-अरब को इस हैसियत से देखता है कि वह इस्लाम का गहवारा है, इस्लानियत की पनाहगाह है, दुनिया की क्यादत का मरकज़ है, रोशनी का मीनार है, उसका अक़ीदा है कि मुहम्मद-ए-अरबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) आलम-ए-अरबी की जान, उसकी इज़्ज़त व इफ़ितख़ार का उनवान, उसका संग-ए-बुनियाद हैं, अगर उससे मुहम्मदुर्सूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को जुदा कर दिया जाए तो अपने तमाम ताक़त के ज़ख़ीरों और दौलत के चश्मों के बावजूद उसकी हैसियत एक बेजान लाश और एक नक्शा-ए-बेरंग से ज़्यादा न होगी।”

मुफ़क्किर-ए-इस्लाम हज़रत मौलाना
सैरयट अबुल हसन अली हसनी नदवी (रह०)
(इन्सानी दुनिया पर मुसलमानों के उर्ज व ज़वाल का असर: ३०)



मर्कजुल इमाम अबिल हसन अल नदवी
दारे अरफ़ात, तकिया कलां, रायबरेली

January 2022

Rs. 15/-

सुन्नत व बिद्वान् का मैयार

"मुसलमानों में इख्तिलाफ़ की शुरूआत शुरू ज़माने से ही हो गयी थी, लेकिन गौर से देखिए यह इख्तिलाफ़ ज्यादातर नज़रियात व राय का था, जिनको अमल से ताल्लुक़ न था कि गौर माददी, गौर महसूस उमूर के मुतालिक़ कोई महसूस व माददी, अमली शहादत पेश नहीं की जा सकती, जैसे यह कि खिलाफत मुसलमानों के मशविरे से है नसे इलाही से है। यह शिया और अहले सुन्नत के बीच सबसे अहम बहस है, या कि क्यामत में अल्लाह का दीदार इन ज़ाहिरी आंखों से होगा या नहीं, यह एक मारकतुल आरा इख्तिलाफ़ी बहस मोअतज़िला और इशारा वमा तरीद यह के दरमियान में है, लेकिन यह तमाम इख्तिलाफ़ात नज़रियाती हैसियत रखते हैं, इन मसलों में जिनकी हैसियत अमली, माददी और महसूस थी मुसलमानों में कोई इख्तिलाफ़ कभी पैदा नहीं हुआ और इसकी वजह यह थी कि रसूलुल्लाह (स0अ0व0) की मुतवातिर अमली सुन्नत सबके पेशे नज़र थी और यह इस्लाम का सबसे बड़ा इम्तियाज़ी वस्फ़ था, रफ़अदैन, आमीन बिल जहर, वज़अ यद, किरआत ख़लफुल इमाम की बहसें अगर फ़रीकैन का गुलू और तास्सुब अलग कर दिया जाए तो सिर्फ़ अफ़ज़लियत की बहस रह जाती है जो कुछ ज्यादा अहम नहीं।

यह हर मज़हब का उसूले कुल्ली है और खास करके इस्लाम का और फ़ितरतन ऐसा ही होना भी चाहिए कि हर मज़हब का बेहतरीन अहद और दौर वह होता है जो खुद साहिबे मज़हब का मुबारक ज़माना होता है और उसके बाद उसके जानशीनों और सोहबत याफ़तों का। फिर धीरे-धीरे उसमें जुअफ़ आता जाता है और उसके मज़हब का क़वाम बिगड़ जाता है। अब अगर कोई शख्स यह दावा करता है कि यह अस्ल मज़हब नहीं बल्कि वह है, कुरआन का यह हुक्म नहीं बल्कि वह है, तो उसका फ़र्ज़ यह है कि रसूल के मुबारक उहद में काम करने का जो तरीका उसको नज़र आता है उसको अस्ल मज़हब का मेयार करार दे और जो चीज़ उस ज़माने में नज़र नहीं आती और बाद को वह शामिल हो जाती है उसको मज़हब से खारिज यानि बिदअत करार दे, इस उसूल की बिना पर जो बिल्कुल खुला हुआ है हर उस शख्स का जो इस्लाम के अस्ती पैकर की जलवा आराई का मुददई है और कुरआन की सही तालीम को आज दुनिया में पेश करना चाहता है, यह फ़र्ज़ है कि वह इस अस्लियत पर इस सही तालीम का ख़त व खाल इस अहदे मुबारक की अमली जिन्दगी में दिखाए और यह बताए कि आज जो ग़लतियां उसको नज़र आती हैं, वह उस वक्त को न थीं बल्कि बाद को इस्लाम में दाखिल हो गई हैं, मसलन यह बताए कि इस ज़माने में सिर्फ़ दो वक्त या तीन वक्त की नमाज़ थी, बाद को जब बुख़री व मुस्लिम व अबूदाऊद मुरत्तब हुई तो मुसलमानों में पांच वक्तों की नमाज़ का रिवाज़ हुआ, पहले इस तरह नमाज़ पढ़ी जा रही थी, बाद को इसमें फुक्हा और मुहदिदसीन ने यह इज़ाफा कर दिया, अगर यह साबित नहीं हो सकता और यकीनन साबित नहीं हो सकता तो यही मानना पड़ेगा कि तो यही मानना पड़ेगा कि खुद रसूलुल्लाह (स0अ0व0) ने नज़रियाती अपने ज़माने में अपनी वही को समझने में ग़लती की और अब उसको हिन्दुस्तान के अजमी अपनी मामूली सरफ़ी व नहवी लियाकत से दुरुस्त कर रहे हैं, क्या कोई मुसलमान बल्कि इन्सान भी ऐसा अहमकाना दावा कर सकता है।

अल्लामा सैय्यद सुलेमान नदवी (रह0)

(माहनामा मआरिफ़ : २ / २४)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मासिक

अरफ़ात किरण

रायबरेली

अंक: १

जनवरी 2022 ₹५०

वर्ष: १४

संस्कारक: हजरत मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी (अध्यक्ष - दारे अरफ़ात)

सम्पादक

बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

सम्पादकीय मण्डल

मुफ्ती राशिद हुसैन नदवी
अब्दुस्सुबहान नासवुदा नदवी
महमूद हसन हसनी नदवी

सह सम्पादक

जो० नफीस खँ नदवी

अनुवादक

मोहम्मद सैफ

मुदक

जो० हसन हसनी नदवी

E-Mail: markazulimam@gmail.com

सुन्नत की अहमियत

अल्लाह के सूल
(सल्लल्लाहू अलौहि वसल्लम्)
ने फ़रमाया:

(तुम अपने ऊपर मेरे और मेरे
शुल्फ़ा-ए-राशिदीन मेहदीयीन के
तरीके की पैशी लाज़िम पकड़ना,
उसको दांतों से मज़बूती से थामे रहना
और दीन में नई बातों (बिदआत) से अपने
आप को बचाना, इसलिए कि हर बिदआत
गुमराही है)

(सुनन इब्ने माज़ा: 44)

मर्कजुल इमाम अबिल हसन अल-नदवी दारे अरफ़ात, तकिया कलां रायबरेली, य०पी०.२२९००१

पति अंक
15रु

जो० हसन नदवी ने एस० ए० आफसेट प्रिन्टर्स, मस्जिद के पीछे, फाटक अब्दुल्ला खँ, सब्ज़ी मण्डी, स्टेशन रोड रायबरेली से
छपवाकर आफिस अरफ़ात किरण, मर्कजुल इमाम अबिल हसन अल-नदवी, दारे अरफ़ात, तकिया कलां रायबरेली से प्रकाशित किया।

वार्षिक
100रु०

Markazul Imam Abil Hasan Al-Nadwi Samiti (Punjab National Bank) A/c No. 6127002100000339 (IFSC: PUNB0612700)

www.abulhasanalinadwi.org



उम्र भर की बेक़रारी को ...

जिगर मुरादाबादी (रह०)

काम आरिंवर जज्बा-ए-बे अरिंपायर आ ही गया
दिल कुछ इस सूरत से तड़पा उनको प्यार आ ही गया

जब निंगाहें उठ गई अल्लाह री मेराज-ए-शौक
देरखता क्या हूं वह जान-ए-इन्तज़ार आ ही गया

हाय ये हुस्न-ए-तसव्वुर का फ़रेब-ए-रंग व बू
मैं यह समझा जैसे वह जान-ए-बहार आ ही गया

हां सज़ा दे ऐ रखदार इश्क़ ऐ तौफ़ीक़-ए-ग़ाम
फिर ज़बान-ए-बे अद्व ए पर ज़िक्र-ए-यार आ ही गया

इस तरह रखुश हूं किसी के वादा-ए-फ़रदा ऐ मैं
दर हकीकत जैसे मुझको एतबार आ ही गया

हाय काफ़िर दिल की यह काफ़िर जुनूं अंगोज़ियां
तुमको प्यार आए न आए मुझको प्यार आ ही गया

दर्द ने करवट ही बदली थी कि दिल की आइ से
दफ़अतन पर्दा उठा और पद्धिर आ ही गया

दिल ने एक नाला किया आज इस तरह दीवानावार
बाल बिरवराए कोई मस्तानावार आ ही गया

जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार पर
उम्र भर की बेक़रारी के क़रार आ ही गया

इस अंक में:

हिजाज़ मुक़द्दस और अंदेशों के बादल3

बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी
अरब कायदीन के नाम5

हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी
सरवर-ए-कौनेन (स०अ०व०) से स्थिताब-ए-मुबारक6

हज़रत मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी
सच्चाई क्या है?8

बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी
सब्र, नमाज़ और शाहादत10

अब्दुस्सुल्हान नाखुदा नदवी
उश्र के शरई एहकाम12

मुफ्ती राशिद हुसैन नदवी
मौलाना अली मियां का कुरआनी ज़ौक14

मुहम्मद अरमुग़ान नदवी
लोकतन्त्र (Democracy)17

सैयद मुहम्मद मक्की हसनी नदवी
हरम रुस्वा हुआ पीर-ए-हरम की कमनिगाही से19

मुहम्मद नफीस ख़ाँ नदवी



हिजाज़ मुक़्�ूदस और अवशों के बाबल

बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

हिजाज़ मुक़्ददस— जो हर मुसलमान के दिल की धड़कन है, जहां से दीन व ईमान मिला और जिससे हर ईमान वाले को ज़ज्बाती लगाव है, जो ऐन ईमान है, जिसकी हिफ़ाजत हर ईमान वाले की ज़िम्मेदारी है, आज से सौ साल पहले वहां निज़ाम में कुछ ऐसी अबतरी थी कि अमन मफ़्कूद था, जिहालत व नाख्वान्दगी आम हो गयी थी, अकीदा तक महफूजा न था और जाहिलियत के दौर की बहुत सी रस्में रिवाज पा गई थीं, इक्विटसादी (आर्थिक) हालत और ख़राब थी, तवाएफुल मुलूकी का दौर दौरा था, यह ज़माना शरीफ़े मक्का का था और यह हुकूमत ख़ास तौर पर शरीफ़ हुसैन के दौर में बर्तानवी असर के ताबए हो गयी थी, अल्लाह का फ़ैसला हुआ और उसने आले सऊद को इस्लाहे हाल के लिए खड़ा किया, सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद ने 1925ई0 में पूरे इलाके पर कन्ट्रोल किया, अमन व अमान कायम किया, इस्लाहे हाल का काम किया, जुल्म का हाथ रोक दिया, शरीअत की हदों को नाफ़िज़ किया और सादगी और बराबरी की एक मिसाल कायम की, इसके साथ इक्विटसादी परेशानियों का भी ख़ात्मा हुआ, ज़िन्दगी को खुशगवार बनाने की कोशिश की गई।

मिलिक अब्दुल अज़ीज़ के बाद उनके जानशीनों ने भी उन कोशिशों को जारी रखा, इसमें उतार-चढ़ाव आते रहे, लेकिन किसी न किसी तरह गाड़ी चलती रही, अलबत्ता तेल की फ़रावानी ने असबाबे ऐश पैदा कर दिये और मेहनतकश कौम को जब इससे साब्का पड़ा तो वह उसके सैले रवां में बहने लगे, फिर अमरीका व यूरोप के रवाबित ने उसकी रफ़तार और तेज़ कर दी और लोगों को संभालना मुश्किल हो गया।

मुफ़्विकर—ए—इस्लाम हज़रत मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली नदवी (रह0) ने पहला सफ़र 1948ई0 में किया था, दूसरे सफ़र में जो 1950ई0 में हुआ, अपने बड़े भाई डॉ अब्दुल अली साहब को उन्होंने जो ख़त लिखा है, उससे उसकी अकासी होती है, मौलाना के क़लम से यह जुम्ले निकल गए: “तीन बरसों में खुला हुआ बदलाव महसूस होता है, बाज़ार से लेकर लोगों के दिमागों तक मग़िरबी तहजीब, तिजारत व माशियत व अफ़कार व ख़्यालात के पंजे और ज्यादा गड़ चुके हैं, जद्दा उतरते ही उसका एहसास होता है और जिस क़द्र हालात से वाकिफ़ियत होती है उतना ही उस हकीकत का इन्किशाफ़ होता है, कोई नहीं जानता कि ख़ूबसूरत अरबी लिबास में कितने दिल व दिमाग़ ख़ालिस मग़िरबी बन चुके हैं।”

इसके बाद हालात में उतार-चढ़ाव आता रहा, लेकिन हुकूमत को शरीअत का तर्जुमान किसी न किसी हद तक समझा जाता रहा, और उसी दौरान मिलिक फ़ैसल को ज़मामे इक्विटार मिली, जिसको इत्तिहाद के अलमबरदार के तौर पर देखा गया और जो अपनी सही फ़िक्र की वजह से अमरीका की आंखों में कांटा बने रहे। आखिरकार उनको शहीद कर दिया गया।

मुल्क की तरकी और अवाम को राहत पहुंचाने के नाम पर जदीद वसाएल, तमददुद, आलाते तफ़रीह और सऊदी अरब को पड़ोसी मुल्कों के नक्शे क़दम पर चलाने और मग़िरबी तहजीब को अपनाने के बारे में पहले ही सोचा जा रहा था और उसकी तरफ़ क़दम बढ़ने लगे थे। मिलिक फ़ैसल के बाद इसमें और तेज़ी आयी और धीरे-धीरे ममलकत ने अमरीका के आगे घुटने टेक दिये, लेकिन फिर भी शरीअत का एहतराम बाकी रहा और किसी न किसी हद तक इस पर अमल भी होता रहा।

ईराक़ व कुवैत की जंग के बाद जब अमरीकी फौजों का वहां तसल्लुत हुआ उसके बाद हालात और बिगड़े और

शिकंजा और कसता गया, मलिक अब्दुल्लाह के आने के बाद कुछ तब्दीली की उम्मीद थी लेकिन उनको भी मजबूर कर दिया गया और हालात मज़ीद अबतर होने लगे, उनके इन्तिकाल के बाद मलिक सलमान जो दीनी जेहन रखते थे और उनके मिजाज में सादगी भी थी उनसे तवक्कोआत वास्ता कर ली गई लेकिन बड़ी आसानी के साथ उनको किनारे कर दिया गया और उनके बेटे मुहम्मद बिन सलमान ने ज़मामे इक्तिदार अपने हाथों में ले ली और इस वक्त वही सियाह व सफेद के मालिक हैं। उनकी तालीम अमरीका में हुई और ग़लत सोहबतों ने उनको वहां पहुंचा दिया जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था, उन्होंने बहुत तेज़ी के साथ तब्दीलियां शुरू कीं और ममलकत को उस रास्ते पर डाल दिया जिससे हर-हर मुसलमान का दिल दुखा है।

मसला अब सिर्फ़ मनोरंजन के साधनों का नहीं रह गया है, अब खुलेआम बेहयाई के मनाज़िर हैं, हुकूमत उनको आगे बढ़ा रही है, अफ़सोस है कि लोग दीवानावार उन पर टूट रहे हैं। दावती व फ़िक्री कामों पर पाबन्दियां लगाई जा रही हैं, मस्जिदों के मेम्बर से बजाए “इनकारे मुनकिर” के “इनकारे मारूफ़” का काम भी होने लगा है, इस्लामी शआएर का भी वह एहतराम न रहा, गैरमुस्लिमों के लिए भी अब हुदूद बाकी नहीं रहे, वह बरसरे आम हर जगह आ-जा सकते हैं।

यही वह सऊदी हुकूमत है जिसने जामिया इस्लामिया कायम किया, जिससे दुनिया के मुसलमानों ने फायदा उठाया, राब्ता-ए-आलम-ए-इस्लाम की बुनियाद डाली, जिसने आलमी सतह पर मुसलमानों के मसाएल से दिलचस्पी ली, मुफ़्तिकर-ए-इस्लाम हज़रत मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली नदवी दोनों इदारों में बुनियादी तौर पर शरीक थे और बाज़ मीटिंगों में वहां की राय के खिलाफ़ हज़रत मौलाना ने राय दी और मौलाना की बात मानी गयी, उस दौर में वह उलमा वहां मौजूद थे जो साफ़ बात कहते थे, उनका एहतराम था, उनकी बात चलती थी, लेकिन आज वह कुछ नहीं, न जामिया इस्लामिया में वह बहार है, न राब्ता-ए-आलम-ए-इस्लामी अपने कामों में आज़ाद है और न उलमा को बोलने की आज़ादी है, न जाने

कितने उलमा-ए-हक़ जेल की सलाखों के पीछे डाल दिये गए, सच्ची बात का इज़हार करना मुश्किल हो गया, वह दीनी व फ़िक्री किताबें जिन्होंने दिमागों को सही रुख़ दिया था, लोगों में सही फ़िक्र और सही ज़ज़बात पैदा करने में जिनका बड़ा किरदार था, आज उन पर पाबन्दियां लगा दी गयीं, तब्लीगी जमाअत जो ख़ालिस इस्लामी जमाअत है, जिसका सियासत से दूर-दूर का वास्ता नहीं, मस्जिद के मेम्बरों से उसको बुरा-भला कहने के एहकामात जारी कर दिये गये और सबसे बढ़ कर यह कि ख़ालिस तौहीद का ऐलान करने वाली और उसकी दावत देने वाली ममलकत आज फ़िल्म स्टारों को बुलाकर नाच-गाना की अश्लील सभा का आयोजन करे और आखिरी बात यह है कि उनके हाथों की यादगारें महफूज़ की जाएं फिर मदीना मुनव्वरा से सिर्फ़ चन्द सौ किलोमीटर के फ़ासले पर वह शहर आबाद किया जा रहा है जिसमें कोई पाबन्दी नहीं, आखिर बात कहां तक पहुंच गयी।

मौजूदा वली अहद ने सरे आम ऐलान किया कि हम ममलकत को यूरोप का हिस्सा बना देंगे और हम उसके लिए पुरअज्ञ हैं, लोगों को यूरोप जाने की ज़रूरत नहीं, वह तफ़रीह के लिए सऊदी अरब आएं, वह मक्का और मदीना और मकामात-ए-मुक़द्दसा जहां हाज़िरी ईमान ताज़ा करने के लिए और अल्लाह की बन्दगी के लिए होती थी, लोग वहां तफ़रीह के लिए जाएं, यक़ीनन यह ज़बाने नुबूव्वत से निकले हुए कलिमात हैं जो पूरे हो रहे हैं, रसूलुल्लाह (स030व0) ने फ़रमाया था: “एक ज़माने में हाल यह हो जाएगा कि मालदार तफ़रीह के लिए आएंगे, मुतवस्सित तबक़ा तिजारत के लिए आएगा और ग़रीब मांगने के लिए।” यह बात हकीकत बनकर सामने आ रही है और उसके रास्ते हमवार किये जा रहे हैं।

यह वह सूरतेहाल है जिसने आलमे इस्लाम को बेचैन कर दिया, हर तरफ़ से सदाए इहतिजाज बुलन्द की गयी और मुख्तालिफ़ मुल्कों के मुक्तदर उलमा ने इस सूरत पर सख्त तश्वीश जाहिर की। नाज़िम नदवतुल उलमा हज़रत मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी साहब ने मुफ़्स्सल मकतूब सिफारत

खाना के वास्ते से मुहम्मद बिन सलमान को इरसाल किया और इसमें अपने दुख का इज़हार किया, और इसमें हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी के हवाले से उन्हीं के उस्लूब में अपनी बात रखी।

अमरीका व यूरोप से यह मरुबियत और वहां की वह मुताफ़िन तहज़ीब जो ऊँची-ऊँची इमारतों और सफेद चमड़ियों में बड़ी दिलकश मालूम होती है, उसकी जाज़िबियत ने ज़ेहन व दिमाग को ऐसा मसमूम कर दिया है कि आज वही तरक्की का मेयार है।

वह तहज़ीब जो हकीकत में यूरोप का उगला हुआ निवाला है, मशिरकी कौमें उसको निगलने के लिए तैयार हैं और वह मुक़द्दस जगह जहां से दुनिया को तहज़ीब व तमदुन की खुराक मिली, अख़लाक व मुआशिरत का वह कीमती निज़ाम मिला, जिसने दुनिया को एक नई सिम्त बख़्शी और इन्सानों को इन्सानियत की हकीकत मालूम हुई, आज वह सबकुछ भुलाकर दुनिया की मुलम्मा साज़ी का शिकार हो रही है। सच्ची बात यह है कि: इस आशिकी में इज़्जत-ए-सादात भी गई।

पूरी दुनिया इस वक्त जिस सख्त हालात से गुज़र रही है और तबई तौर पर मुसलमान सबसे ज़्यादा मुतासिसर हैं, इस वक्त ज़रूरत है बात को पूरी तरह समझने की और हत्तलइमकान हर तरह के इन्तिशार से बचकर इस्लाहे हाल की कोशिशों की और अपने दाएरा—ए—कार में जो हो सकता हो हर सतह से उसमें आगे बढ़ने की वरना दायरे तंग होते जाएंगे, हालात बिगड़ते जाएंगे, आज बड़े अफ़सोस की बात यह है कि खुद हमें अपनी ख़ामियों का भी एहसास नहीं, हर मैदान में और हर गोशे में अगर कोशिशों की जाएंगी तो किसी न किसी सूरत में उसके असरात वसीअ होंगे और क्या बईद है कि अल्लाह तआला इन कोशिशों की बदौलत वहां तब्दीली की शक्लें पैदा फ़रमा दें जो इस वक्त हमारे अधिक्षियार से बाहर हैं।

﴿وَالَّذِينَ حَاهُدُوا فِينَا لَنَهَدَيْنَاهُمْ سُبُّنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾
“और जो भी हमारे लिए जान खपाएंगे तो हम ज़रूर उनके लिए अपने रास्ते खोल देंगे और यकीनन अल्लाह बेहतर काम करने वालों ही के साथ है।”

अरब क़ायदीन के नाम

हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी (रह0)

ऐ अहल-ए-अरब, ऐ अहल-ए-मक्का, ऐ रवादिमान-ए-हरम!

आपने अपने हाथों से इस मुक़द्दस घर को बनाया था कि हर घर से ऊँचा हो जाए और हर सनम व हैकल से ऊँचा दिखाई दे, आपके लिए कैसे जाएँ जो सकता है कि फिर नाक़ाबिले ज़िक्र बुतों का सहारा लें, यहीं से आलमी इन्सानियत की आवाज उठी, जिसने इमियाज़ात के बुतों को तोड़कर नस्ली, वतनी, गुलामी के तौके सलासल को काटकर रख दिया, जिसने तारीख का रुख़ फेर दिया, जिसने हवादिस का मुंह मोड़ दिया, यहीं से वह रोशनी की किरन फूटी जो दुनिया में फैल गयी और जिसने इन्सानित के तने मुर्दा में रुहे ज़िन्दगी दौड़ा दी।

हमें हैरत है कि आप कैसे इस जाहिलियत की तरफ जा रहे हैं, जिसे हर होशियार कौम ने छोड़ दिया, यूरोप का उगला हुआ लुक्मा उठाते हुए मैं आपको देखना नहीं

चाहता।

अरब भाइयों के ग़लत मौक़िफ़ से हम अजीब कशमकश में हैं, खास करके हिन्द व पाक अजीब घुटन में हैं, इन लोगों को कुरआन के सिवा कोई किताब शरीअत के अलावा कोई निज़ाम और रसूलुल्लाह के बराबर कोई इमाम व क़ायद नहीं जानते, उन्हें यह मौक़िफ़ बहुत खल रहा है, मैं आपसे रहम की अपील करता हूं कि हमें अपने मुल्कों में रुस्वा न करें, आप हमारी मदद नहीं कर सकते तो हमें कमज़ोर भी मत बनाइये, हमारे इस्लाम पर एतमाद, अपनी इस्लामियत पर इत्मिनान और तारीखें इस्लाम पर फ़ख़ के मवाकेआ से मत रोकिए, हमारे इस पुराने यकीन को धचका न लगाइये कि आपने कौमों की जिहालत की बोझल जंजीरों से छुड़ाया था।

आलम-ए-अरबी का अलमिया 106-107



हज़रत मैलाना सैयद मुहम्मद शबे हसनी बद्री (रह)

कुरआन मजीद में रसूलुल्लाह (स०अ०व०) से फ़रमाया गया कि अल्लाह के कलाम की सूरत में जो वहीं तुम्हें दी जा रही है, उसको लोगों के सामने पढ़िए, अल्लाह का इशाद है:

وَأَنْلَمْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ رَبَّكَ لَا مُبْدِلٌ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِداً

"और आपके परवरदिगार की किताब की आप पर जो वही हुई है, वह पढ़कर सुनाइये, उसकी बातें कोई बदल नहीं सकता और उसके सिवा आपको कहीं पनाह की जगह मिल नहीं सकती।" (सूरह कहफः 27)

यहां यह नहीं कहा गया कि इस वही को लोगों तक पहुंचा दीजिए, बल्कि फ़रमाया कि उसकी तिलावत कीजिए यानि पढ़ते रहिए, गोया इस चीज़ की तिलावत होनी चाहिए, ताकि उसके बाद में लोग सबक लें।

तिलावत के हुक्म के बाद फ़रमाया कि यह बात समझनी चाहिए कि अल्लाह तआला के कलिमात में तब्दीली नहीं है, यह नहीं समझना चाहिए कि अल्लाह ने ऐसा कहा है तो हो सकता है कि कल इसकी ज़रूरत न हो और अल्लाह ने यह सिर्फ़ आज ही के लिए कहा है, बल्कि जब अल्लाह तआला ने कहा है तो फिर वह क्यामत तक हमारे लिए दर्स है और काबिले इस्तिफादा है, अब उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। एक तरफ़ जहां उसके फ़रमान में कोई तब्दीली नहीं होती है, वहीं दूसरी तरफ़ यह भी है कि अल्लाह तआला के अलावा तुम्हें हिफ़ाज़त का कोई ठिकाना भी नहीं मिलेगा, यह सब जितने भी सहारे और ठिकाने हैं, जिनसे आदमी खुद को ख़तरे व मुसीबत से बचाता है, यह सब बहुत कमज़ोर, मामूली और वक़्ती सहारे हैं, दुनिया के तमाम वसाएल अल्लाह ही ने पैदा किए हैं, दुनिया में जितने वसाएल और हिफ़ाज़त के तरीके हैं, वह सब अल्लाह ही के बनाए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वह खुद-ब-खुद हों, हम उनको अधिकायार करें या न करें, हमें सोचना पड़ेगा,

नहीं! बल्कि हमें उनको अधिकायार करना है, इसलिए कि अल्लाह ने हमारे अधिकायार करने के लिए ही बनाए हैं, दवाओं में जो असर है और उसके अलावा जो दूसरे वसाएल हैं, यह सब अल्लाह तआला ही के बनाए हुए हैं, यह खुद से नहीं बने हैं, खुद से जो चीज़ें बनी हैं उसकी हैसियत दूसरी होती है और जो किसी ने बनाई हो उसकी हैसियत दूसरी होती है। ज़ाहिर है जिस चीज़ को अल्लाह तआला ने बनाया है तो वह उसमें फेर-बदल भी कर सकता है, अल्लाह तआला उन चीज़ों को बेकार और बेअसर भी कर सकता है, इसलिए कि यह खुद से नहीं हैं, बल्कि यह ताबए हैं और अल्लाह की बनाई हुई हैं। लिहाज़ा अगर तुम उन चीज़ों का सहारा लोगे तो वह कमज़ोर और नापाएदार सहारा होगा और यह हकीकत अटल है कि अल्लाह तआला को छोड़कर तुम कोई और ठिकाना नहीं पा सकते।

रसूलुल्लाह (स०अ०व०) को इशाअत-ए-इस्लाम की फ़िक्र बहुत ज्यादा रहती थी, आप (स०अ०व०) के ज़हन में यह बात थी कि कुप़फ़ार में जो बड़े-बड़े सरदार हैं, बड़े-बड़े अमीर हैं, जिनका कौम पर असर है, अगर उनमें से कोई एक भी शख्स मुसलमान हो जाता है तो पूरी एक जमाअत मुसलमान हो जाएगी, यानि जितने लोग भी उनके जेरे असर होंगे, वह सब मुसलमान हो जाएंगे, इसीलिए रसूलुल्लाह (स०अ०व०) को इस तबके के इस्लाम लाने की ख़ास फ़िक्र थी, ताकि इस्लाम जल्दी फैले, अल्लाह तआला ने इस ज़हनियत को मुखातिब करके रसूलुल्लाह (स०अ०व०) से फ़रमाया:

وَصِرْ نَفْسَكَ مَعَ الْذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدِ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا

"और आप उन ही लोगों के साथ अपने आप को लगाए रखिए जो सुबह व शाम अपने रब को पुकारते हैं उसकी खुशनूदी की चाहत में और दुनिया की आराइश की ख़ातिर उनसे अपनी निगाहें न फेर लीजिए और उसकी बात न मानिये जिसके दिल को हमने अपनी याद से ग़ाफ़िल कर रखा है और वह अपनी ख़्वाहिश के चक्कर में पड़ा है और उसका मामला हद से आगे बढ़ चुका है।" (सूरह कहफः 28)

आयत से पता चला कि जो बड़े-बड़े लोग आते हैं और अपनी कौम में बहुत असर रखते हैं, उनके इस्लाम

की फ़िक्र न कीजिए, हकीकत में यह लोग अल्लाह तआला के बागी हैं और उसकी नज़र में उनकी कोई कीमत नहीं है, दुनिया में चाहे उनकी कोई कीमत हो और जैसा असर व रसूख हो, लेकिन अल्लाह तआला के यहां उनका कोई असर नहीं है, लिहाज़ा ऐ नबी! आपको अपनी तबियत पर जब्र करना होगा।

आगे फ़रमाया कि उनके मुकाबले में जो लोग ईमान ला चुके हैं और वह मामूली दर्जे के लोग हैं, उनको आप यूं समझते होंगे कि यह खुद तो ईमान ले आए हैं लेकिन उनका दूसरों पर कोई असर नहीं है और चूंकि यह लोग अब ईमान ले आए हैं, लिहाज़ा अगर उन लोगों की हम ज्यादा फ़िक्र नहीं भी करते हैं तब भी यह तो हमारे साथ ही हैं, अलबत्ता यह लोग जिनके ईमान ले आने से समाज पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, उन पर कोशिश व मेहनत की जानी चाहिए।

इसके बाद इरशाद हुआ कि जो लोग अल्लाह को सुबह-शाम पुकारते हैं और अल्लाह की रज़ा के तालिब हैं, आप अपनी तबियत को उन पर मजबूर कीजिए, यानि उनके साथ रहने और उन्हीं की तरफ़ तवज्ज्ञ करने पर अपने को मजबूर कीजिए और अपने इस तकाज़े को दबाइये कि हम किस तरह इन बड़े लोगों मुसलमान कर लें, जितना पैगाम देना हो उतना पैगाम दे दीजिए, जितनी बात कहनी हो उतनी कह दीजिए और उससे ज्यादा की फ़िक्र न कीजिए, जिनके बारे में अल्लाह तआला ने तय कर दिया कि यह काफ़िर रहेंगे तो आप उनको मुसलमान नहीं बना सकते, आपका काम पैगाम पहुंचाना और कोशिश करना है, आप उन पर ज्यादा मेहनत न कीजिए, बल्कि अपने को मजबूर कीजिए कि आप उन ग़रीबों और मामूली लोगों से वाबस्ता रहें जो अल्लाह को सुबह-शाम याद करते रहते हैं और दीन के काम में लगे रहते हैं।

उन्हीं लोगों के बारे में और फ़रमाया कि आप अपनी निगाहों को उन लोगों से न हटाइये, ऐसा न हो कि आपकी निगाहें उनसे हट जाएं, यानि उनको कमतर समझें, आप उनको हरगिज़ कमतर न समझिए, यह लोग अल्लाह की नज़र में बरतर हैं और जिनको दुनिया बरतर देख रही है, अल्लाह की नज़र में वह कमतर है, लिहाज़ा आपका रवैया भी यह होना चाहिए कि उनको आप बरतर

समझें और उनको कमतर समझें, अलबत्ता जहां तक दावत देने की बात है वह ज़रूर दें, उनको भी दें और उनको भी दें, लेकिन इतना याद रहे कि उन लोगों से आपकी निगाहें नहीं हटनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दुनिया की ख़बियां और दुनिया की जो पुरकशिश बाते हैं, उनकी तरफ़ आपकी निगाह चली जाए और पुरकशिश बातें क्या हैं? यानि जो लोग बाअसर हैं, जो दुनिया चला रहे हैं, जिनका लोगों पर असर है और जो ताक़तवर हैं, उनसे आदमी ज्यादा उम्मीद कायम कर ले और जो लोग कमज़ोर हैं, उन पर आदमी को ज्यादा तवक्कुल न हो, उसी के पेशेनज़र फ़रमाया गया कि यह दुनिया की जो ज़ीनत है यानि दुनिया में जो एक कशिश और असर है, उसकी तरफ़ आप बिल्कुल भी इरादा न फ़रमाइए, उसके बाद दुनियावी एतबार से बड़े लोगों के बारे में फ़रमाया कि जिसका दिल हमने अपनी याद से हटा दिया है तो उसका दिल अल्लाह की याद से हट गया, यहां यह ध्यान रहे कि दिल अल्लाह तआला की इजाज़त ही से हटा है, चूंकि हर चीज़ अल्लाह करता है तो इस बात को अपनी तरफ़ ही मन्सूब करता है कि हमने जिसके दिल को अपनी याद से हटा दिया है, आप उसकी बात न मानिये।

आयत में जिस बात के मानने से मना किया जा रहा है, वह यह थी कि वह लोग कहा करते थे कि हम आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए एक मुश्किल यह है कि आपने अपने पास उन मामूली और घटिया लोगों को जमा कर रखा है, जिनको हम कुछ भी ख़ातिर में नहीं लाते हैं, तो हम आपके पास कैसे बैठें? पहले आप उन लोगों को हटाइये फिर हमसे बात कीजिए, ऐसी सूरत में रसूलुल्लाह (स0अ0व0) को भी ख़्याल होने लगा कि अगर इस तरीके से उन तक दीन की दावत पहुंच जाती है तो अगर कुछ वक्त के लिए यह लोग क़रीब न रहें और अलग रहें तो बहुत बेहतर है। मज़कूरा आयत में इसी को मना किया गया कि उन लोगों से यह लोग बेहतर हैं, आप उनकी बात न मानिये और फ़रमाया कि जिसके दिल को हमने अपनी याद से हटा दिया है, जो दीन की बातें नहीं मान रहा है, आप उसकी फ़रमाइश कुबूल न कीजिए, वह कुछ भी कहा करें, लेकिन उनकी बात नहीं मानी जाएगी।

स्थानीय क्या हैं?

बिलाल अब्दुल हयि हननी नदवी

तिजारत और रास्तगोई:

हज़रत हकीम बिन हिजाम (रजि०) से रिवायत है रसूलुल्लाह (स०अ०व०) ने फ़रमाया: बेचने और ख़रीदने वाले को उस वक्त तक बय (सौदा) ख़त्म कर देने का अखिलयार है जब तक कि वह इस मजलिस से जुदा न हों और अगर वह सच बोले और अगर वह सच बोले और बय के ऐब व हुनर को बयान कर दिया तो उन दोनों के लेन-देन में बरकत होगी और अगर झूठ बोले और ऐब छुपाया तो उनके लेन-देन में बरकत ख़त्म कर दी जाएगी। (बुखारी)

रसूलुल्लाह (स०अ०व०) ने फ़रमाया कि जब तक मामला मुकम्मल न हो जाए या जब तक मजलिस ख़त्म न हो जाए, तब तक ख़रीदने और बेचने वाले दोनों को अखिलयार हासिल है। यह शरीअत का अख़लाकी हुक्म बयान किया जा रहा है कि आदमी मामला कर रहा है, ख़रीद-फ़रोख़त हो रही है, तो जब तक मामला मुकम्मल नहीं हो जाता, उस वक्त तक दोनों को अखिलयार है, ज़माना जाहिलियत में यह होता था कि किसी ने कोई चीज़ ली या किसी ने फेंक कर दे दी कि यह चीज़ लो हमने तुम्हें बेच दी, तो वह यह समझते थे कि यह बय हो गयी और मामला मुकम्मल हो गया, अब किसी को कोई अखिलयार नहीं है, ज़ाहिर है इसमें जुल्म भी होता था, जब कोई ज़बरदस्ती किसी के सर कोई चीज़ थोप दे और वह लेना न चाहता हो तो यह जुल्म ही हुआ।

अखिलयार का हक़:

इस्लाम ने यह अखिलयार दिया है कि जब मामला हो रहा हो और एक-दूसरे से बात चल रही हो तो दोनों को अखिलयार है, जैसे: हम किताब बेचने चाहते हैं और सामने वाला शख्स कहता है कि हम ख़रीदना चाहते हैं, लिहाज़ा अब वह ख़रीदने की नियत से किताब देख रहा है और मामला भी चल ही रहा है तो अभी इसको पूरा अखिलयार है, वह चाहे तो ले और हम चाहें तो दें, या बीच

में हम कह दें कि हां बेचने का इरादा तो था लेकिन अब नहीं है, ज़ाहिर है हमें पूरा अखिलयार है, इसलिए कि हमारा मुआहिदा मुकम्मल नहीं हुआ है औ बेचने वाले का भी मुआहिदा मुकम्मल नहीं हुआ है, बल्कि अभी तो बात चल ही रही है, इसी तरह अगर किताब लेने वाला कहता है कि लाओ किताब देखते हैं, हो सकता है कि हम ख़रीद लें, फिर वह बोले कि हम नहीं ले पाएंगे और हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो जब तक मामला मुकम्मल नहीं हो रहा है, उस वक्त तक उन दोनों को अखिलयार हासिल है, जबर बिल्कुल जाएज़ नहीं है, इसलिए कि जबर जुल्म है, अगर बेचने वाला शख्स ताक़तवर है तो वह उसके सर ज़बरदस्ती सामान थोपेगा कि नहीं तुम्हें यह चीज़ लेनी ही पड़ेगी, ऐसे में हो सकता है कि सामने वाला दबाव में आकर मजबूरन हां कर दे, इसलिए यह तरीक़ा जाएज़ नहीं है, जबर नहीं किया जा सकता बल्कि बेचने वाला अखिलयार रखता है और ख़रीदने वाला भी अखिलयार रखता है, वह चाहे ले और चाहे न ले।

कई बार ऐसा भी होता है कि ख़रीदने वाला ताक़तवर होता है और ज़बरदस्ती लेना चाहता है, वह किसी कमज़ोर बेचारे से कोई ज़मीन लेना चाहता है और उससे जाकर कहता है कि मियाँ! तुम्हारी फ़्लां ज़मीन है तुम बेच दो, अब वह बेचारा हक्का-बक्का रह जाता है कि वह क्या करे? तो लेने वाला कहता है कि अरे बेच दो, हम जानते हैं कि यह रेट है लिहाज़ा इतने में हमें दे दो, ऐसे में ख़रीदने वाला अगर कोई बड़ा ज़मीनदार या ताक़तवर आदमी है तो बेचने वाला कमज़ोर आदमी उससे दबता है और परेशान होकर ज़मीन दे देता है, लेकिन यह जबर भी जाएज़ नहीं है, बल्कि बेचने वाले को अखिलयार होना चाहिए, अलबत्ता उससे ख़रीदने वाला इतना कह सकता है कि इस ज़मीन के इतने रेट हैं, अगर तुम चाहो तो बेच दो, अब अगर वह यह जवाब दे कि इस वक्त बेचना मुश्किल है तो मामला ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन अगर यह कहा कि मुश्किल कैसे है, तुम्हें ज़मीन देना ही पड़ेगी, तो इस्लाम में यह जबर जाएज़ नहीं है।

अखिलयार के हुदूदः

मज़कूरा हदीस की अस्ल हकीकत यही है कि इस्लाम में जबर को मना किया गया है और जब तक बय

मुकम्मल न हो जाए तब तक अखिलयार दिया गया है, अलबत्ता जब बय मुकम्मल हो गयी और मामला मुकम्मल हो गया तो अब उसके बाद अखिलयार खत्म, इसलिए कि अगर बाद में भी अखिलयार दिया जाएगा तो झंझट खड़ा हो जाएगा। जो चीज़ बेच दी गयी खरीदने वाले ने खरीद ली और मामला खत्म हो गया और उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया, फिर अब बाद में जाकर बेचने वाला कहे कि हमने ज़मीन ग़लत बेच दी, हम वापस लेना चाहते हैं, तो अब यह ठीक नहीं है, इसलिए कि वह बेच चुका है और दूसरा खरीद चुका है, अब मामला आगे बढ़ गया, लिहाज़ा अब अगर इस तरह की इजाज़त दी जाएगी तो सारा कारोबार फ़ेल हो जाएगा, लेकिन जब तक मामला मुकम्मल न हो उस वक्त तक की इजाज़त है, इस पर जबर नहीं है, बेचने वाले को भी इजाज़त है और खरीदने वाले को भी इजाज़त लें

सच्चाई की बरकत

हदीस शरीफ में यह भी इरशाद है कि अगर बेचने और खरीदने वाला दोनों सच बोलते हैं और बात खोल-खोल कर बयान करते हैं तो अल्लाह तआला उनकी बय और उनके कारोबार में बरकत अता फ़रमाएगा और अगर वह छुपाते हैं और झूठ बोलते हैं तो अल्लाह तआला उनके इस कारोबार की बरकत को मिटा देगा।

वाक्या यह है कि आदमी सामान के नुक्स को छिपाता है, कपड़े वाला कपड़ा बेच रहा है, लेकिन अगर उसका कपड़ा कहीं से कट जाए तो थान का थान बेच देता है और अन्दर कटा हुआ कपड़ा छिपा ले जाता है, फिर बड़ा खुश भी होता है कि हमारा काम बन गया, जबकि हकीकत यह है कि काम बिगड़ गया। एक थान बेचकर कितना फ़ायदा कमा लेगा? हालांकि जब कारोबार की बरकत अल्लाह के यहां से उठा ली जाएगी तो क्या कमाएगा और उस कमाई में क्या बरकत होगी? लेकिन अफ़सोस की ईमान वाला इन्सान इस बात को नहीं जानता, इसीलिए यह हुक्म दिया गया है कि आदमी कारोबार करे, दुकान सजाकर बैठे और सच-सच बात करे, जो भी चीज़ बेच रहा है अगर उसमें कोई बुराई है, या कोई ऐब है तो उसको बयान कर दे कि इसमें यह ख़राबी है और इसके एतबार से यह चीज़ इतने की है।

अमानतदारी की मिसाल

तारीख़—ए—इस्लाम में अमानत व दयानतदारी के बेशुमार वाक्यात हैं, एक किसी बड़े इमाम का वाक्या है कि उन्होंने कोई चादर बेची, बाद में उनको अंदाज़ा हुआ कि वह चादर इतने दीनार की नहीं थी जितने की बेच दी, गोया बय मुकम्मल होने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि हमने चादर ग़लत बेच दी, लिहाज़ा वह उस शख्स के घर गए और उससे कहा कि तुमने इतने पैसे ज़्यादा दे दिए, हालांकि यह चादर उससे कम की थी, लिहाज़ा इतने दीनार वापस ले लो। यह अमानतदारी देखकर वह शख्स हक्का—बक्का खड़ा रह गया कि बय मुकम्मल हो गयी थी और दाम भी मुनासिब थे, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मुझे इतने ज़्यादा पैसों पर इत्मिनान नहीं था।

शरई हुक्म

शरीअत का अस्ल हुक्म यह है कि आदमी जो कारोबार भी करे उसमें किसी को धोखा न दे, बल्कि जो बात है वह सीधी—सीधी बयान कर दे, लोग ज़मीन का कारोबार करते हैं, उसमें न जाने कितना धोखा देते हैं, ज़मीन झगड़े वाली होती है और जाकर कहते हैं कि इस पर कोई झगड़ा नहीं है, आप ले लीजिए कोई मसला नहीं है, लेकिन एक सीधा इन्सान इस ज़मीन को लेकर मुसीबत में पड़ जाता है, शरई नुक्ता—ए—नज़र यह अमल हराम है, अगर इस तरह कोई शख्स लोगों को फसाता है तो जाएँ नहीं है, बल्कि जो बात है उसे खोलकर बयान करना चाहिए कि यह किस तरह की ज़मीन है, जैसे: नुज़ूल की ज़मीन है, या उसके हिस्सेदार हैं, उसके काग़ज़ात कैसे हैं, वह काग़ज़ात जाली तो नहीं है, ग़रज़ कि जो बात भी है वह सच्ची—सच्ची बयान करना चाहिए, अगर बयान नहीं की तो यह अल्लाह के यहां पकड़ और गुनाह की बात है, इससे कारोबार में बरकत मिट जाएगी, ज़ाहिर में इन्सान यहीं समझता रहेगा कि लाखों कमा लिए, लेकिन यह लाखों काम नहीं आएंगे, वह दुनिया में चाहे उनसे कुछ दिन फ़ायदा उठा ले, लेकिन आखिरत में कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता, इसीलिए यह हुक्म है कि आदमी जो कारोबार कर रहा है, चाहे वह किसी भी तरह का हो, बस मामला साफ़—साफ़ होना चाहिए।

सुख, नमाज़ और शहदत

अब्दुस्सुल्हान नाखुदा नदवी

शरीयत के हुक्म पर अमल करने के दौरान जो मुश्किलें पेश आएं, उनका मुकाबला नमाज़ और सब्र से करने का कुरआन मजीद में हुक्म है, इरशाद है:

﴿بِاَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُو بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْصَّابِرِينَ ﴾☆ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾

“ऐ लोगों! जो ईमान लाए हो नमाज़ और सब्र के ज़रिए (अल्लाह से) मदद चाहो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, जो लोग अल्लाह के रास्ते में मारे जाते हैं उनको मुर्दा न कहो, हकीकत यह है कि वह ज़िन्दा हैं लेकिन तुम्हें एहसास नहीं होता।”

(सूरह बक़रा: 153–154)

जब बनी इस्लाम पर अल्लाह की नेमतों का तज़्किरा हो रहा था उस वक्त उनको भी उन्हीं दो बुनियादी चीज़ों के ज़रिये अल्लाह से मदद चाहने का तज़्किरा हुआ था: ﴿وَاسْتَعِينُو بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ लेकिन बनी इस्लाम की तारीख पर निगाह डालें तो नज़र आएगा कि उनमें सब्र नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं, खुद हज़रत मूसा ने उनसे कहा था :

﴿قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُو بِاللَّهِ وَاصْبِرُو أَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقْبِلِينَ حَمَّلَوْا أُوْذِنَاهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمَنْ يَتَدَبَّرْ مَا جَعَلْنَا﴾

“जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह से मदद चाहो और सब्र करो, ज़मीन बिलाशुभ्वा अल्लाह की है, वह जिसे चाहता है उसका मालिक बना देता है, अस्ल आकिंबत तो मुत्तकीन के लिए है।” कौम (उसके जवाब में) कहने लगे “मूसा तुम्हारे आने से पहले भी हम तकलीफ में थे और तुम्हारे आने के बाद भी।”

अल्लाह की तरफ से ज़बरदस्त एहसान के तौर पर मन व सलवा उतरने लगा तो कहने लगे: ﴿لَنْ تُصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ﴾ “हम इस एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते” यह उनकी उमूमी तारीख है, अलबत्ता उनमें सब्र व

इस्तिकामत वाले हज़रात भी पैदा होते रहे, अल्लाह ने उनको इमामत से नवाज़ा: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ إِئِمَّةً يَهْدِوُنَّ بِأَمْرِنَا لَمَّا هُنَّا مُسْلِمُونَ﴾ “हमने उनमें पेशवा व इमाम बनाए जो हमारे हुक्म से हिदायत का काम करते थे जब उन्होंने सब्र किया।” यहां सब्र इस्तिकामत के मफ़्हम में है, इसी तरह यह भी सच है कि बनी इस्लाम ने फिरौन की तरफ से बर्दाशत कीं, वह मज़लूम थे, इस मज़लूमाना सब्र के नतीजे में अल्लाह ने उनकी निजात का फ़ैसला फ़रमाया:

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى نَبِيِّ إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا﴾

“आपके रब का बेहतरीन फ़ैसला बनी इस्लाम के हक में पूरा हुआ जब उन्होंने सब्र किया।” यहां उनकी मज़लूमी का बयान है, बाकी जब राहे हक में दिखाने का मौका आया तो उनमें न नमाज रही न सब्र की कैफ़ियात रहीं, उन्हीं के बारे में इरशाद है:

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَصَاغُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ﴾

“उनके बाद (यानि उन अम्बिया और उनके सच्चे मुत्तबिईन के बाद) कुछ ऐसे ना ख़लफ़ जानशीन हुए जिन्होंने नमाज को ज़ाए कर दिया और ख़्वाहिशात के पीछे पड़ गए।”

इससे मालूम हुआ कि नमाज को ज़ाया करना, बेनमाज़ी होना है और ख़्वाहिशात की पैरवी करना सब्र को छोड़ देना है।

बनी इस्लाम की पूरी तारीख बयान करके मिल्लत-ए-इब्राहीमी की अमानत व नेअमत इस उम्मत के सुपुर्द करके उनको यह नसीहत की जा रही है कि यह रास्ता निस्खतन पुर मशक्कत है, लेकिन इसका ईनाम भी बहुत बड़ा है, इसलिए नमाज व सब्र के ज़रिए मदद हासिल करते रहना, सब्र चाहे मज़लूमाना हो या इस्तिकामत से लबरेज़, दोनों सूरतों में अल्लाह तुम्हारे साथ रहेगा, भले किसी का साथ मिले न मिले, बुनियादी तौर पर सब्र ताअत पर जमे रहने, मआसी से बचते रहने और मुसीबतों को बर्दाशत करने का नाम है, जिसे अरबी

”الصبر على الطاعات، الصبر عن المعاصي، الصبر على مَنْ“ (إِنَّمَا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ حَاجَوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ) (الشَّدَادٌ)
इताअत पर सब्र, गुनाहों पर सब्र, मुसीबतों पर सब्र) कहते हैं, अल्लाह से वफादारी के अहद में कौन कितना सच्चा है, यह मालूम करने के लिए अल्लाह की तरफ से मुख्तालिफ़ आज़माइशों होती रहती हैं, वही अस्ल में जमने और इस्तिकामत का वक्त होता है, आम हालात में इन्सान जद्दोजहद करता है, जो इजितमाई तौर पर जिहाद फ़ीसबीलिल्लाह और इन्फिरादी व ज़ाति तौर पर हो तो मुजाहिदा कहलाती है, वह सब सब्र में दाखिल है, इसी तरह मज़लूमी की हालत में जुल्म सहने के बावजूद अपने दीन पर वाबस्ता रहने की कैफियत को भी सब्र कहा जाता है, यह इम्तिहान अल्लाह की तरफ से अक्सर व बेशतर ज़रूर होता है, अच्छों का इम्तिहान ज़रा सख्त होता है और आम मुसलमानों का कुछ नम्र, इसमें अल्लाह यह चाहता है कि सब खरे उतरें:

(أَمْ حَسِّئُتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ حَاجَوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ)

”क्या तुम्हारा ख्याल है कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे जबकि अभी अल्लाह ने यह मालूम नहीं किया कि तुममें से जिहाद—मुजाहिदा करने वाले कौन हैं और उनको भी वह जान लेगा जो सब्र करने वाले हैं।“

”انَّمَا يَعْلَمُ اللَّهُ مَنْ“ जो लोग किसी भी हालत में उल्टे पांव वापस नहीं पलटते हैं, अपने अस्ल मक्सद से कभी इन्हिराफ़ नहीं करते, अल्लाह के लिए बड़े से बड़े फ़ायदे से महरूम या बड़े से बड़े नुक़सान को बर्दाश्त करने को गवारा करते हैं, वह साँधिर हैं, वह हमेशा अल्लाह को अपने साथ पाते हैं, फिर वह हर नफ़ा—नुक़सान से बालातर होकर शहादत की ज़िन्दगी बसर करते हैं या फिर शहादत की मौत को गले लगाते हैं, हकीकत में ज़िन्दगी की आबरू उन्हीं के दम—क़दम से कायम है, ज़िन्दगी का मज़ा भी यही लोग पाते हैं, मौत से पहले भी और मौत के बाद भी, इसीलिए अल्लाह के रास्ते में जान का नज़राना पेश करने वालों को मुर्दा कहने से मना किया गया है, वह शहीद हैं और शहीद हमेशा ज़िन्दा होता है, अलबत्ता यह ज़िन्दगी दुनियावी ज़िन्दगी की तरह नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से बतौर ईनाम मिलने वाली ख़ास पुरलुत्फ़ ज़िन्दगी है जिसका तसव्वर हम नहीं कर सकते, बाकी दुनियावी लिहाज़ से उन पर मौत का हुक्म लगाया जाएगा, उनकी मीरास तक़सीम होगी, रुह उनकी भी निकल जाती है, जिसमें उनका भी बेजान हो जाता है, जिस तरह आम मरने वालों को होता है, यहां

अदबन और एहतिरामन उनको मुर्दा न कहने का हुक्म है और यह बताने के लिए भी कि आलमे बरज़ख में उनको जिस तरह ख़ास ज़िन्दगी नसीब होती है, वह आम मरने वाले मोमिनीन से बढ़कर होती है। वल्लाहु आलम

”انَّمَا يَعْلَمُ اللَّهُ مَنْ“ के मअन बाद इस आयत के लाने से यह बात मालूम होती है कि तुम जिस राह के मुसाफिर हो वहां जान का नज़राना पेश करने की भी ज़रूरत आ सकती है, शहादत की ज़िन्दगी कभी—कभी शहादत की मौत तक भी ले जा सकती है, उसे मौत न समझना वह खुद एक पुरबहार ज़िन्दगी है, रसूलुल्लाह (स0अ0व0) ने इरशाद फ़रमाया: शोहदा की रुहें सब्ज परिन्दों के अन्दर होंगी, जन्नत में जहां चाहेंगी चरती फिरेंगी, फिर उन क़ंदीलों में आकर बसेरा करेंगी जो अर्श के नीचे लटक रहीं हैं। अल्लाह उन पर नज़र फ़रमाएगा और पूछेगा; तुम क्या चाहते हो? वह कहेंगे: परवरदिगारे आलम! हम और क्या चाहें, तूने हमें वह दिया है जो अपनी मख़लूक में से किसी को नहीं दिया, अल्लाह की तरफ से फिर पूछा जाएगा, जब वह देखेंगे कि जब तक अल्लाह से कुछ मांगा न जाएगा उनसे पूछा जाता रहेगा तो वह कहेंगे; परवरदिगारे आलम हम यह चाहते हैं कि तू दोबारा हमें दुनिया में भेज दे, ताकि हम तेरे रास्ते में लड़कर एक बार फिर शहीद हो जाएं, शहादत का सवाब देखकर वह यह तमन्ना करेंगे। (वाज़ेह रहे कि यहां तमन्ना हसरत के लिए नहीं बल्कि लुत्फ़ व इज़्जत के तौर पर होगी) अल्लाह रब्बुल इज़्जत फ़रमाएगा मैंने यह बात लिख दी है कि वह दोबारा दुनिया में नहीं लौटेंगे, यानि दोबारा उनको दुनियावी आज़माइश में मुक्तिला नहीं किया जाएगा, दोबारा शहादत से वह जिस मज़ीद सवाब की तमन्ना करेंगे, एक ही शहादत से उनकी वह सारी तमन्नाएं पूरी कर दी जाएंगी, इसके लिए बार—बार शहीद होने की ज़रूरत नहीं होगी। इस सहीह रिवायत से पता चलता है कि शोहदा के लिए आलमे बरज़ख में से जन्नत के कुछ मज़े हासिल होने शुरू हो जाएंगे, बाकी भरपूर जन्नत क़्यामत क़ायम होने के बाद मिलेंगी, कुछ इससे मिलती—जुलती ज़िन्दगी आम अहले ईमान को भी हासिल होगी। रसूलुल्लाह (स0अ0व0) ने इरशाद फ़रमाया: मोमिन की रुह एक परिन्दा बनकर जन्नत के दरख़तों को चरती फिरेगी और एक तर्जुमा यह भी है कि जन्नत के दरख़तों के फलों को खाएगी।

उशर के शर्कर्ड एहकाम

मुफ्ती राष्ट्रिय हुसैन नदवी

जिस तरह सोना, चांदी, अमवाले तिजारत और नक़दी पर ज़कात वाजिब है, उसी तरह ज़मीन की पैदावार पर भी ज़कात वाजिब है और चूंकि ज़मीन पर होने वाली पैदावार पर वाजिब होने वाली ज़कात उशर (दसवां हिस्सा) या निस्फ़ उशर (बीसवां हिस्सा) होती है, इसलिए इसका नाम ही उशर रख दिया गया है।

फिर जिस तरह ज़कात फ़र्ज़ है, उसी तरह उशर भी फ़र्ज़ है, इसका हुक्म कुरआन मजीद में भी आया है और हदीसों में भी आया है, चुनान्ये अल्लाह तआला का इरशाद है: “ऐ ईमान वालों! ख़र्च करो अपनी पाकीज़ा कमाई में से और उस पैदावार में से जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाली है।” (सूरह बक़रा: 2678) मुफ़्सिसरीन ने इससे उशर मुराद लिया है।

(अहकामुल कुरआन लिलहब्सास)

दूसरी जगह इरशाद है: “और फ़सल काटते वक्त उसका हक़ दो।” (अलइनआम: 141)

यहां भी मुफ़्सिसरीन ने उशर या निस्फ़ उशर मुराद लिया है और रसूलुल्लाह (स0अ0व0) का इरशाद है: “जो ज़मीन बारिश और चश्मों से सैराब हो या (जड़ों के ज़रिए खुद से) सैराबी हासिल कर लेती हो उसमें उशर (दसवां हिस्सा) वाजिब है और जो ऊंट (या दूसरे मस्नूई ज़राए जैसे ट्यूबवेल वग़ैरह के) ज़रिये सींची जाए तो उसमें निस्फ़ उशर (बीसवां हिस्सा) है।”

(बुखारी, किताबुज्ज़कात : 1483)

किस ज़मीन में ऊर होगा?

उशर सिर्फ़ उशरी ज़मीन पर वाजिब होता है, ख़राजी ज़मीन पर वाजिब नहीं होता, उशरी उन ज़मीनों को कहा जाता है जो मुसलमानों ने काफ़िरों से फ़तेह करके हासिल की हो और उसे बतौर माले ग़नीमत तक़सीम कर दिया गया हो, या मुसलमान हाकिमों ने बतौर जागीर दी हो और उस वक्त से अब तक मुसलमानों के

क़ब्ज़ों में चली आ रही हो।

चुनान्ये ख़राजी ज़मीनों पर उशर नहीं होता और ख़राजी ज़मीनें वह हैं जिनको मुसलमानों ने फ़तेहकरके हासिल तो किया हो लेकिन उनको बतौर एहसान मालिकों के पास ख़िराज मुकर्रर करके छोड़ दिया हो, या वह ज़मीन जिसको मुसलमान ने काफ़िर से ख़रीदा हो। (फ़तावा ख़ानिया: 1 / 270–271)

इस ज़मीन को मुसलमान काफ़िर से ख़रीद भी ले तब भी इस पर उशर वाजिब नहीं होता।

(तातार ख़ानिया: 7 / 132)

जहां तक हिन्दुस्तान की ज़मीनों की हैसियत का ताल्लुक़ है तो बाज़ उल्मा सबको ख़िराजी करार देते हैं, इसलिए कि ख़ात्माए ज़मीनदारी के बाद हुक्मत ने ज़मीन ज़मीनदारों से ज़ब्त कर ली थी और काश्तकारों व ज़मीनदारों पर तक़सीम कर दी थी, लिहाज़ा वह काफ़िरों से हासिल होने वाली ज़मीन के हुक्म में गई है और उस पर न उशर लाजिम होगा न ख़िराज, इसलिए कि सरकारी मिलिक्यत वाली ज़मीनों में से कोई भी चीज़ वाजिब नहीं होती। (किताबुल मसाएल: 2 / 166, बहवाला फ़तावा महमूदिया व शामी)

लेकिन हज़रत थानवी (रह0), मुफ्ती शफ़ीअ (रह0), मौलाना ख़ालिद सैफुल्लाह और ज़म्हूर उल्मा के नज़दीक जो ज़मीनें काफ़िरों से ख़रीदी जाएं उन पर ख़िराज वाजिब है, बक़िया मुसलमानों की तमाम ज़मीनों पर उशर वाजिब है, बल्कि एहतियात इसमें है कि ग़ेर मुस्लिमों से ख़रीदी गई ज़मीनों का भी उशर निकाल दिया जाए। फ़िक़ एकेडमी की चन्द तजावीज़ (छठा फ़िक़ही सेमिनार) मुलाहिज़ा हो:

1— हिन्दुस्तान की ज़रई ज़मीनों के मुतालिक़ यह ख्याल कि न उनमें उशर वाजिब है न ख़िराज, दुरुस्त नहीं है।

2- हिन्दुस्तान की ज़मीनें नीचे दी गई सूरतों में इत्तिफ़ाक़ कराय से उशरी हैं:

अ- मुसलमान हुकूमत की तरफ से मुसलमानों को अता की गई ज़मीनें जो अब तक मुसलमानों के पास चली आ रही हैं।

ब- जिस इलाके के लोग मुस्लिम हुकूमत के कायम होने से पहले खुशी से मुसलमान हो गए हों और उनकी ज़मीनें अभी तक मुसलमानों ही के पास चली आ रही हैं।

स- जो ज़मीनें लम्बे अर्से से मुसलमानों के पास हैं और तारीखी तौर पर उनका खिराजी होना साबित नहीं है।

3- जो ज़मीनें गैरमुस्लिम हुकूमत या अफ़राद से किसी मुसलमान को हासिल हुई हों, उनके बारे में सेमिनार में शरीक होने वालों की राय मुख्तलिफ़ हैं, बहुत से लोगों के नज़दीक हिन्दुस्तान की तमाम ज़मीनें उशरी हैं और बहुत से लोगों के नज़दीक इस सूरत में खिराज वाजिब है, ताहम इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि इहतियात तमाम ही ज़मीनों में उशर अदा करने में है। (नए मसाएल: 72-73, और देखिएः जवाहरुल फ़िक़हः 2/266, जदीद फ़िक़ही मसाएल: 1/231, फ़तावा रहीमिया: 9/1110)

बात का खुलासा यह कि ज़मीन उशरी हो तब तो उशर निकालना वाजिब है ही, उशर होना मश्कूक हो या खिराजी होना तय हो तब भी अक्सर उल्मा के नज़दीक इहतियात उशर निकालने में है। वल्लाहु आलम

किस ज़मीन का दसवां हिस्सा निकालना है और किसमें बीसवां हिस्सा वाजिब है?

उशर निकालने के लिए शरीअत ने कोई निसाब तय नहीं किया है, किसी के पास ज़मीन कम हो या ज़्यादा, पैदावार कम हो ज़्यादा, ज़मीन का मालिक आकिल-बालिग हो या मजनून और नाबालिग अगर मुसलमान है तो हर तरह की पैदावार पर उशर वाजिब होगा, सिवाए घास और सरपत जैसी उन चीज़ों के जिनको नफ़ा हासिल करने के लिए नहीं लगाया जाता, हत्ता कि अगर नफ़ा हासिल करने के लिए सरपत और घास जैसी चीज़ों को लगाया जाए तो उस पर भी उशर

वाजिब होगा, इसलिए अगर नफ़ा हासिल करने के लिए बांस या यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए तो भी जब भी उनको काटे उन पर उशर वाजिब होगा।

(शामी: 2/53-55, बदाएः 2/173)

और सिंचाई अगर बारिश या नदी वग़ैरह के पानी से बग़ैर मेहनत किए हो जाती हो तो दसवां हिस्सा (उशर) वाजिब होगा, लेकिन अगर सिंचाई के लिए रक्म लगती हो या मेहनत पड़ती हो जैसे ट्यूबवेल वग़ैरह से सिंचाई की जा रही हो बीसवां हिस्सा वाजिब होगा यानि आधा उशर।

(शामी: 2/54-55)

किराए पर दी हुई ज़मीन का उशरः

किराए पर दी हुई ज़मीन का उशर मुफ़्ता बिही कौल के मुताबिक़ किराए पर लेने वाले पर होगा।

(शामी: 2/60)

बटाई वाली ज़मीन का उशरः

अगर बटाई वाली ज़मीन मुसलमान की है और मुसलमान ही ने ली है तो दोनों पर उनके हिस्से में उशर वाजिब होगा।

(बदाएः 2/174)

आरियत पर ली हुई ज़मीन का उशरः

अगर ज़मीन किसी मुसलमान को आरियत पर दी तो उसका उशर आरियत पर लेने वाले किसान पर होगा और अगर किसी गैरमुस्लिम को दी तो पैदावार का उशर ज़मीन देने वाले पर होगा।

(शामी: 2/60)

ख़र्च घटाए नहीं जाएँगेः

खेती पर खाद और दवाओं पर भारी ख़र्च आता है, लेकिन उस पर होने वाले इन ख़र्चों को काटा नहीं जाएगा, कुल पैदावार पर उशर होगा, इसी तरह गन्ने और सब्जियों वग़ैरह जैसी तमाम तरह की पैदावार और फलों पर उशर होता है, उनको लाने-ले जाने पर जो ख़र्च आता है, उन ख़र्चों को भी घटाया नहीं जाएगा।

(बदाएः 2/185)

इस्तेमाल से पहले उशर निकालना ज़रूरी हैः

पैदावार में उशर निकालने से पहले उशर निकालना चाहिए और अगर बेच लिया है तो उसकी कीमत से पहले उशर निकाले फिर इस्तेमाल करे।

(शामी: 2/58)



मुहम्मद अब्दुल्लाह बद्रियाँनी नदवी

"जाइये दौलत-ए-कुरआन मुबारक हो"
(हज़रत मौलाना मुहम्मद इलियास कांधलवी रह0)

मुफ़्तिकर-ए-इस्लाम हज़रत मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली नदवी (रह0) का खास मौजूद कुरआन मजीद था, जिसका जौक उनके रग व रेशे में सरायत किया हुआ था, इसकी वजह यह थी कि उन्हें अरबी ज़बान का वह खुदादाद जौक हासिल था, जो सिर्फ़ अहले में भी उनको नसीब होता है जिनमें फ़ितरी और वजदारी जौक मोजज़न हो, हज़रत मौलाना ने अपने इस जौक को वसीअ व अमीक मुताले से जिला बख्शा था, इस पर मुस्तज़ाद यह कि उन्हें ऐसे बाजौक और सालिहीन की सोहबत मयस्सर आयी जिनकी ज़िन्दगियां कुरआन मजीद की अमली तस्वीर की मुंह बोलती तस्वीर थी, मौलाना के दिल में कुरआन मजीद की मुहब्बत का सबसे पहला नक्श तो उसी वक्त कायम हो गया जब कमसिनी में वालिदा-माजिदा की आगोश में दर्द व सोज में डूबी उनकी तिलावत सुना करते थे, फिर दिल की इस नर्म ज़मीन में बोए गए बीच को परवान चढ़ने का ज़र्रा मौक़ा तब मिला जब उन्होंने शेख ख़लील-ए-अरब (रह0) के सामने जानुए तिलमिज़या किया और बाकायदा अरबी ज़बान की तालीम का आगाज़ हुआ, शेख ख़लील-ए-अरब कुरआन मजीद का महज़ पाकीज़ा जौक ही नहीं बल्कि ज़ाएका भी रखते थे, वह जब भी तिलावत करते तो आवाज़ गुलूगीर हो जाती, बिलखुसूस कुछ मुन्तख़ब रुकूआत को बड़े जोश और लुत्फ़ से पढ़ते थे, हज़रत मौलाना को भी अपने महबूब उस्ताद से इस जौक का वाफ़िर हिस्सा मिला था, वह अपने मुताला-ए-कुरआन की सरगुजिश में लिखते हैं:

"अरब साहब का पुरदर्द और पुर तासीर लहजा गोया कान में गूंज रहा है, अरब साहब से सुनते-सुनते हमको भी यह रुकूआ अच्छे मालूम होने लगे और इस तरह से कुरआन मजीद से एक ज़ौकी ताल्लुक पैदा हुआ।" (मेरी इल्मी व मुतालआती ज़िन्दगी: 8)

लाहौर के कयाम में हज़रत मौलाना अहमद अली

साहब लाहौरी (रह0) की दर्सी मजालिस और उनके फैज़-ए-सोहबत से हज़रत मौलाना (रह0) ने ख़ूब इस्तिफ़ादा किया, हज़रत मौलाना खुद फ़रमाते हैं कि हज़रत लाहौरी का दर्स बड़ी मेहनत और क़वी खुलासा का तालिब होता था, हर रुकूआ का खुलासा और उसके माख़ज़ याद करना पड़ते थे, फिर नये दर्स से क़ब्ल उसको मौलाना सिंधी के ही मुकर्रर किये हुए अल्फ़ाज़ में सुनाना भी ज़रूरी था, इस ज़माने में हज़रत मौलाना की कुरआन मजीद पर गैर मामूली मेहनत का नतीजा यह हुआ कि आप हज़रत लाहौरी के मुमताज़ तरीन तलबा में शुमार हुए और जब दिल्ली से ख्वाजा अब्दुल हयि फारूकी, हज़रत लाहौरी की दावत पर उनके तलबा की कापियां चेक करने आए तो उन्होंने हज़रत मौलाना को इम्तियाज़ी नम्बरात दिए जो तक़रीबन सत्तर या उससे कुछ ऊपर थे, लेकिन दीगर रुफ़का ने इस पर एक एहतिजाजी जलसा किया, यहां तक कि हज़रत लाहौरी ने बनफ़स-ए-नफ़ीस कापियां चेक करने का ऐलान किया, बक़ौल हज़रत मौलाना:

"किस्मत की बात कि जब उन्होंने कापियां देखीं तो सब शुरका-ए-इम्तिहान के नम्बरों में थोड़ा इज़ाफ़ा किया और मेरे नम्बर बढ़ाकर अट्ठानवे कर दिये।" (कारवान-ए-ज़िन्दगी: 1 / 133)

हज़रत मौलाना ने देवबन्द के कयाम में शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी (रह0) से भी कुरआन मजीद के मुश्किल मकामात के हल में खुसूसी रुजूआ फ़रमाया। अलावा अज़ी अल्लामा सैय्यद सुलेमान नदवी (रह0) की सोहबत में रहकर उनके मुताला-ए-कुरआन से भी भरपूर इस्तिफ़ादा किया।

हज़रत मौलाना (रह0) ने अपने इल्मी व मुतालआती सफ़र में मुख्तालिफ़ वकीअ तफ़सीर से नफ़ा उठाया, मसनल: शेखुल इस्लाम इन्हे तैमिया (रह0) की बाज़ मुख्तासर तफ़सीरें, मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही के रसाएल, तफ़सीर-ए-ज़लालैन, बग़वी की मआलिमुल तन्ज़ील और ज़मरख़शारी की कशाफ़ वगैरह, फिर जब दारुल उलूम नदवतुल उलमा में मसनद-ए-दर्स संभाली तो उस ज़माने में अल्लामा आलूसी की रुहुल मआनी, अबूहय्यान की अलबहरुल मुहीत और अल्लामा रशीद रज़ा की तफ़सीर अलमिनार का भी मुताला किया और बाद में तफ़सीर-ए-तिबरी से खुसूसी दिलचस्पी भी काबिल-ए-ज़िक्र है।

जदीद मालूमात व तहकीकात के तनाजुर में कुरआनी ऐजाज़ के मुख्तलिफ़ शोबों को बेनकाब करने में हज़रत मौलाना ने अब्दुलमाजिद दरियाबादी (रह0) की तफसीर-ए-माजिदी से भी खूब इस्तिफादा किया, और उर्दू तर्जुमे व हवाशी में हज़रत शाह अब्दुलक़ादिर देहलवी (रह0) और मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी (रह0) के तराजिम व हवाशी को हज़तर मौलाना बड़ी क़द्र की निगाह से देखते थे।

हज़रत मौलाना का यह इस्तियाज़ी वस्फ़ है कि वह अपने इल्मी व मुतालआती सफ़र में किसी ख़ास तर्ज़े फ़िक्र या मख़सूस नज़रिये से मुतास्सिर नहीं हुए, बल्कि अरबी ज़बान में महारत की वजह से कुरआन मजीद का ऐजाज़, वज़दानी व ज़ौकी तौर पर खुद महसूस होने लगा, इसके नतीजे में यह हुआ कि उन्होंने बराहेरास्त कुरआन मजीद के मआनी व मफ़ाहीम समझने की कोशिश की और उनकी जिन्दगी का कुरआन से वही ताल्लुक हो गया जो जिस्म को रुह से होता है, मुताला-ए-कुरआन की सरगुजिश्त में उनके यह अल्फ़ाज़ मुलाहिज़ा हों:

“अरबी ज़बान व अदब के इश्तग़ाल का यह फैज़ कुछ कम फैज़ नहीं कि इससे कुरआन मजीद का सही ज़ौक पैदा हो और उसके सारे अदबी जखीरे में निरालापन और अलबेलापन साफ़ नज़र आने लगा।” (कारवान-ए-जिन्दगी: 10)

हज़रत मौलाना ने दारुल उलूम नदवतुल उलमा के मुख्तलिफ़ दरजात में तक़रीबन दस साल कुरआन मजीद का दर्स दिया, यह दर्स वहबी सलाहियत और खुदादाद ज़हानत का हकीकी आईनादार होता था जिसमें फ़िक्र व लिल्लाही और खानदानी बुजुर्गों की खुसूसियात साफ़ तौर पर झलकती थीं, दौराने दर्स हज़रत मौलाना का रब्त-ए-आयात व तर्ज़े इस्तदलाल, कुरआन मजीद पर उनके हद दर्जा एतमाद और गहरेक शुग़फ़ का राज साफ़ तौर पर बयान करता था।

हज़रत मौलाना (रह0) ने शहर-ए-लखनऊ में “इदारा-ए-तालीमात-ए-इस्लाम” और “मरक़ज़ दावत व तब्लीग़” में सालों साल दर्स कुरआन का सिलसिला जारी रखा, यह दर्स दानिशवर तबक़े के लिए इन्तिहाई मुफ़ीद व मुअर्रिसर होते थे, जिनमें कुरआनी आयात को मौजूदा मुआशिरे पर मुन्तबिक़ करके ऐसे बयान किया जाता था जैसे उन आयात का नुज़ूल उसी मक़सद के लिए हुआ है, यही वजह है कि उन दुरुस में तालीम याफ़ता तबके की

एक बड़ी तादाद बड़े जोश व खरोश से शरीक होती थी, हज़रत मौलाना लिखते हैं:

“दर्स के वक्त अगर लखनऊ में किसी दीनी ज़ौक रखने वाले मुसलमान अफ़सर या आला ओहदेदार को तलाश किया जाता तो शायद जवाब यही मिलता कि वह इस वक्त इदारा तालीमाते इस्लाम के दर्से कुरआन में होंगे।” (कारवान-ए-जिन्दगी: 1 / 274)

हज़रत मौलाना के ज़ौक-ए-कुरआनी का यह आलम था कि वह स्टेज पर खाली ज़हन बैठे होते फिर जब जलसे का आगाज़ तिलावत-ए-कुरआन से होता तो उन्हीं आयात की रोशनी में अपनी पूरी बात कहते और ऐसे नुकात बयान करते जिनकी तरफ़ मुतक़दीमीन या मुताख़्वीरीन की निगाह तक न गई हो, मसलन:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعِصْبَهُمْ أُولَئِكَ بَعْضٌ إِلَّا تَنْعَلُوهُ تَكُونُ فِتْنَةً
فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾

इस आयत की तशीह में हज़रत मौलाना ने बयान किया कि: यहां इन्सानी और आदिलाना भाईचारा कायम करने का हुक्म न उन रुमियों को है जो आधी दुनिया के मालिक थे और न ईरानियों को हैंजिन्होंने रोमन इम्पायर के साथ दुनिया पर कब्ज़ा जमा रखा था बल्कि यह ख़िताब सहाबा की मुद्ठी भर जमाअत से है जिससे पता चलता है कि “उम्मत-ए-मुस्लिमा की हैसियत और वज़न “क़द्र व कीमत” है, न कि “क़द्र व कामत” इसकी हैसियत और इसका मकाम अपने ईमान, अकाएद, मकारिमे अख़लाक़, बेदार ज़मीर और जिस्म में सरायत किए हुए शऊर व विजदान और अक्ल व तदब्बुर पर असर डालने वाली इस बेताब व बेचैन रुह से है जो उसको अता की गयी।” (कारवान-ए-जिन्दगी: 3 / 102)

﴿بَلْ إِذَا رَأَكُوكُ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ
مِّنْهَا عَمُونَ﴾

इस आयत में हज़रत मौलाना ने आयत का तर्जुमा “उनका इल्म पंक्चर हो गया है” किया है, इसके बाद अहले मग़रिब की तहकीकत और उनके इल्म से मुतालिक़ यह नुक्ता बयान किया है कि:

“वह इल्म जो अच्छा-ख़ासा चल रहा था, इत्मिनान से सफ़र तय करके आया था, जिसने अक्लियात पर, तबीयात पर, रियाज़ियात पर और मा बादुत्तबियात तक में अपनी फ़िक्र की जौलानी और ज़हन की ताबानी दिखाई, वही इल्म जब वाजिबुल वजूद की ज़ात व सिफ़ात तक पहुंचा तो ऐसा मालूम होता है कि अचानक पहिये से

हवा निकल गई।” (कारवान-ए-ज़िन्दगी: 2 / 223-224)

﴿وَلَا تُنْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْهُنْكَرِ﴾ एक मौके पर हज़रत मौलाना ने इस आयत का शाने नुजूल बयान करते हुए फ़रमाया कि जब हज़रत अंसार को इस्लाम के मुतालिक इत्मिनान हो गया तो उन्होंने यक़सू होकर अपनी तिजारत की तरफ मुतवज्जे होने का इरादा किया, जिस पर यह आयत नाज़िल हुई और मुसलमानों को तम्हीह की गई कि जब दीन को तुम्हारी मदद और जानिसारियों की ज़रूरत है तो ऐसे वक्त में लम्हा भर की ग़फ़्लत भी समे कातिल है, इसके बाद हज़रत मौलाना ने इसी आयत से इस्तिदलाल करते हुए मौजूदा हालात के तनाज़ुर में फ़रमाया:

“मुसलमानों का ज़हन इन्फ़िरादी है इजित्माई होना चाहिए, यानि मिल्लत के तकाज़ों को देखना चाहिए कि अगर हर शख्स सिर्फ़ अपने-अपने तकाज़ों को देखने लगे तो दीन की ख़िदमत कहां से होगी।”

(रुदाद-ए-चमन: 232)

इसी तरह हज़रत मौलाना ने अपनी तक़रीरों और दर्स कुरआन की महफ़िलों में सूरह बक़रा की आयत: ﴿مَا تَبْدُلُونَ مِنْ بَعْدِي﴾ के ज़िम्म में नई नस्ल के ईमान की हिफ़ाज़त के मुतालिक दिल का जो दर्द बयान किया है वह पूरी मिल्लत के लिए एक सुनहरा पैग़ाम है, एक मरतबा फ़रमाया:

“यही हर मुसलमान की शान होनी चाहिए, अपने बारे में भी हमेशा डरता रहे, अपने ईमान की ख़ैर मनाता रहे, इसीलिए दुआ करता रहे कि हमारा ईमान सलामत रहे, हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो और अपनी औलाद के बारे में भी इत्मिनान हासिल कर ले, यह हमारी ज़िन्दगी में भी और हमारे बाद भी अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह के आस्ताने पर सर नहीं झुकाएगी।” (तोहफ़ा-ए-मशिरिक़: 50)

वाक्या यह है कि हज़रत मौलाना को मुसलसल कुरआनी इश्तग़ाल के सबब ऐसा ज़ाएका नसीब हुआ था कि वह कुरआनी फ़हम की दौलत से बख़ूबी मालामाल थे, उनकी तमाम तहरीरें और तक़रीरें कुरआनी बसीरत पर दलालत करती हैं। जिसमें ग़वासी करके वह बेशकीमत लाल व गहर चुनकर लाते थे और बयान करते थे, वह अपने ज़ौक का खुद यूं इज़हार करते हैं:

“मैं कुरआन मजीद का अदना तालिब इल्म हूं, इसके

बाद जो कुछ भी अल्लाह ने तौफ़ीक दी इसमें कुरआन मजीद का सबसे बड़ा हिस्सा है।”

जिन लोगों ने मेरी नाचीज़ तहरीरें और तस्नीफ़ें देखी हैं, उनको अंदाज़ा होगा कि मेरी तहरीरों का ताना-बाना कुरआन मजीद ही से तैयार होता है, मैंने सबसे ज़्यादा कुरआन से मदद ली है और फिर तारीख़ से और मैं तारीख़ कुरआन मजीद की ही तफ़सीर समझता हूं।”

(दावत-ए-फ़िक्र व अमल: 188-189)

तारीख़ और कौमों के उरुज व ज़वाल की दास्तान हज़रत मौलाना महबूब मौजूद था, मगर हकीकत यह है कि उन्होंने तारीखे आलम को भी कुरआन मजीद ही की रोशनी में पढ़ा और समझा था, जिसका अंदाज़ा उनके उस्लूबे बयान और तर्ज़ इस्तदलाल से साफ़ तौर पर होता है, यही वजह है कि उन्होंने आम मुअर्रिखीन की रविश से हटकर उससे वह रहनुमा उसूल माख़ज़ किये जो दावती मैदान के लिए हमेशा मशअले राह रहेंगे, उन्होंने खुद इस बात का एक जगह ज़िक्र किया है:

मैंने कुरान मजीद को इस नज़र से पढ़ा है कि वह एक ज़िन्दा किताब एक बोलता हुआ मुरक्का और आइना है। जिसमें अफ़राद भी अपने चेहरे देख सकते हैं कौमें भी अपनी सूरतें देख सकती हैं और कौमों, सल्तनतों, सभ्यताओं की उन्नतियां तथा उनके परिणाम भी इस किताब में देखे जा सकते हैं।

कुरान मजीद से हज़रत मौलाना के आखिरी दर्जे के इश्क का अन्दाज़ा उनके इन शब्दों से होता है:

जब कुरान मजीद में आदमी का जी लगने लगता है तो इंसान की लिखी हुई चीज़ों से जी घबराने लगता है। इंसानी किताबे मानवीय लेख इंसानी तक़रीरें पस्त और बेकार मालूम होने लगती है। साहित्यकारों तथा हकीमों तथा चिन्तकों की बातें बच्चों जैसे नजर आती है। जिनमें कोई गहराई मालूम नहीं होती।

हज़रत मौलाना का कुरान में तदब्बुर और तफ़क्कुर और जौक व शौक का यही वह जज्बा था जिसकी बिना पर उम्मत के बड़े बड़े लोग उनकी इस मुमताज़ सिफ़त के तारीफ़ करने वाले और कदरदान थे। बानिये तब्लीग़ हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास कांधलवी ने एक मौके पर अपने ख़ास अंदाज़ में संबोधित करके फ़रमाया : जाइयें दौलते कुरान मुबारक हो।

लोकतन्त्र

सैयद मुहम्मद मक्की हसनी नंदवी

भूतपूर्व अमरीकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन (Abraham Lincoln) के शब्द हैं:

“Government of the people, by the people and for the people.”

अर्थात् (लोकतन्त्र) शासन जनता से, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए (होता है)

लोकतन्त्र का शाब्दिक अर्थ “जनता का शासन” है। इसकी उत्पत्ति यूनानी शब्द से हुई है जिसमें (Demos) का अर्थ जनता होता है और (Kratos) का अर्थ शासन होता है।

लोकतन्त्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां जनता को कानून के निर्माण में शामिल किया जाता है, या जनता अपने प्रतिनिधि तय करती है जो यह काम कर सकें। यह प्रतिनिधि उस चुनाव प्रणाली (Voting System) के द्वारा चयनित होकर आते हैं जिसमें जनता का हर व्यक्ति अपने पसंदीदा व्यक्ति के हक में वोट करके कानून बनाने तथा क्षेत्र की सेवा के लिए शासन में अपना प्रतिनिधि बनाने का प्रयास करता है। फिर जिसके हक में जनता का सबसे अधिक वोट जाता है उसको सत्ता प्राप्त होती है तथा वह जनका के प्रतिनिधित्व का हकदार हो जाता है। भारत तथा बहुत से देशों में यही लोकतान्त्रिक प्रणाली प्रचलित है।

पांचवीं सदी (ई०प०) में यह व्यवस्था कुछ यूनानी शहरों में खास तौर पर एथेंस में चलन में थी। पुराने एथेंस के बाद रोमन इम्पायर भी लोकतान्त्रिक व्यवस्था पर स्थापित हो गया यद्यपि इस लोकतान्त्रिक व्यवस्था में राय देने का हक केवल आज़ाद मर्द के लिए ही खास था और शासन करने का अधिकार खास लोगों के पास ही रहता था, इस लोकतान्त्रिक व्यवस्था में जनता बहुत से मूलभूत अधिकारों से भी वंचित थी।

फिर उन्नीसवीं सदी के अन्त था बीसवीं सदी के आरम्भ में यूरोप में सफरेज मूवमेंट (Suffrage

Movements) ने ज़ोर पकड़ा और फिर धीरे-धीरे वहां “लोकतान्त्रिक शासन” की बुनियाद पड़ने लगी जिसे पश्चिमी लोकतन्त्र (Western Democracy) के नाम से बयान किया जाता है।

पश्चिम ने जिस लोकतान्त्रिक व्यवस्था से दुनिया को परिचित कराया उसने अपने उस्तूलों और दावों की बदौलत बहुत जल्द लोकप्रिय हो गया और फिर पश्चिमी साम्राज्य से आज़ाद होने वाले देशों ने उसी व्यवस्था को अपने यहां प्रचलित किया।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था हर व्यक्ति की उन्नति का दावेदार है और अपने दावों को आकर्षित तथा स्वीकार योग्य बनाने के लिए उसने निम्नलिखित चार अहम मानवीय आधारों पर ज़ोर दिया है:

1— कानून (Law): लोकतान्त्रिक शासन कानूनी हैयित पर स्थापित होती है, इसमें केवल इसी जमाअत को शासकीय काम—काज संभालने का अधिकार होता है जो जनता के कानूनी और आज़ाद व इंसाफ से की गई वोटिंग से सत्ता में आती है। ऐसी हुकूमत अपनी कानूनी हैसियत रखती है और इसी से जनता की भलाई की उम्मीद लगाई जा सकती है।

लेकिन नोट करने की बात यह है कि वोटिंग के द्वारा शासन करने वाली पार्टी बहुसंख्य का वोट प्राप्त करने में नाकाम रहती है और चूंकि हुकूमत बनाने वाली पार्टी को बहुसंख्य का समर्थन प्राप्त नहीं होता इसलिए जनता अधिकतर जनता हुकूमत से नाखुश रहती है। जैसे: 60 प्रतिशत चुनाव में हिस्सा लेती है तथा वोट कम से कम दस अलग—अलग पार्टियों में बंट जाता है, लिहाजा जीतने वाली पार्टी को दस—पंद्रह प्रतिशत वोट ही प्राप्त होते हैं यानि 85 से 90 प्रतिशत लोग उस सरकार के समर्थन में नहीं होते।

2— इन्साफ (Justice): लोकतान्त्रिक शासन न्याय पर स्थापित होता है। यह मामला उसी समय मुक्ति के समर्थन में नहीं होता।

सकता है, जब जनता एक ऐसे माहौल में जीवन गुज़ारें जहां सभी लोगों के साथ एक सा मामला किया जाए और जनता को मान-सम्मान दिया जाए। यानि किसी ख़ास वर्ग या व्यक्ति को ख़ास सुहूलत दी जाए तो उस पर सवाल होना चाहिए और समाज को चाहिए कि वह लोगों को सलाहियत की बुनियाद पर बढ़ावा दे और इनाम लियाक़त के आधार पर दे, न कि उनकी हैसियत व रुखे के आधार पर।

लेकिन वास्तव में राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रणाली में किसी ख़ास धर्म, वर्ग या जात का वोट प्राप्त करने के लिए बंटवारे की राजनीति करती हैं तथा इस आधार पर न्याय का समाज से ख़त्म हो जाना स्वाभाविक है। अतः जिन लोगों से सत्ता पक्ष को वोट मिलता है और जिस जगह से उनके उम्मीदवार कामयाब होते हैं उन जगहों और लोगों को ख़ास दर्जा दिया जाता है और बाक़ी सबको नज़र अंदाज़ किया जाता है।

3- आज़ादी (Liberty): लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली में आज़ादी हर नागरिक का अधिकार है। हमारे देश के संविधान में भी अपने नागरिकों को छः अधिकार दिए गए हैं:

1. समानता का अधिकार
2. स्वतन्त्रता का अधिकार
3. शोषण के ख़िलाफ़ अधिकार
4. धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार
5. सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार
6. सर्वेधानिक उपचारों का अधिकार

यह बात ख़ास तौर पर ध्यान देने के लाएक है कि एक ओर लोकतन्त्र का यह दावा है कि इसमें लोगों को हर प्रकार की स्वतन्त्रता प्राप्त है तथा मानव निर्मित कोई दूसरी व्यवस्था ऐसी नहीं है जिसमें मनुष्य अमन व शांति महसूस करता हो, मगर इस व्यवस्था की बुनियादी कमी यह भी है कि इसमें प्रतिनिधियों को यह अधिकार प्राप्त होता है कि जिस संविधान पर तमाम नागरिकों की स्वतन्त्रता आधारित होती है, उस संविधान को बदल भी सकते हैं, यानि कि अगर शासन में शामिल लोग यह चाहें कि किसी ख़ास धर्म, वर्ग या सम्प्रदाय से वोट का अधिकार छीन लिया जाए, किसी जगह से उनका मालिकाना हक़ समाप्त कर दिया जाए, उनकी धार्मिक आज़ादी ख़त्म कर दी जाए या उनके सांस्कृतिक

आयोजनों पर पाबन्दी लगा दी जाए, तो वह पार्ल्यामेंट में एक बिल पास करके अपनी योजना को धरातल पर उतार सकते हैं।

4- ताक़त (Power): आज़ाद लोकतन्त्र में संविधान में कोशिश की जाती है कि सत्ता की ताक़त सीमित, पादरर्शी तथा गैर पक्षपातपूर्ण हो।

लोकतान्त्रिक संविधान के अनुसार भारत में राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है, प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के मशवरे पर फ़ैसला करता है। भारत “राज्यों का संघ” है, यानि भारत में फ़ैडरल शासन प्रणाली है, जिसमें केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच अधिकारों का बंटवारा होता है तथा न्यायप्रणाली स्वतन्त्र होती है किन्तु एमरजेंसी की स्थिति में यह यूनिटरी का रूप धारण कर लेती है यानि एमरजेंसी में राज्य सरकार को भंग कर दिया जाता है और हालात के संभलने तक सारे अधिकार केवल केन्द्र सरकार के होते हैं।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली में न्यायपालिका बिल्कुल स्वतन्त्र होती है, किसी का व्यक्तित्व, धर्म या पार्टी उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती है। लेकिन यह भी वास्तविकता है कि शासन, उसके अधीन पुलिस व खुफिया संस्थान और हुकूमत का मीडिया उसका साथ न दे। इस तरह लोकतन्त्र में न्यायपालिका शासन के दबाव में रहती है या यूं कहा जाए कि फ़ैसला लेने में जज जो केवल एक इन्सान होता है, हुकूमत और उसके वोट बैंक की राय को मद्दे नज़र रखता है।

वास्तविकता स्वीकार की जाए तो लोकतन्त्र में अवामी अक्सरियत (बहुसंख्यक) ख़ौफ़नाक जानवर बन जाते हैं जो रोहनिया और वीगर (चीन) जैसे अल्पसंख्यकों को पूरी तरह से तबाह-बर्बाद कर देता है और कुछ संभव नहीं कि हमारे देश में भी आसाम जैसी सूरतेहाल पूरे देश को निगल जाए।

खुलासा यह कि इन तमाम भष्टाचार व नाइंसाफ़ी का हल किसी मानव निर्मित व्यवस्था में नहीं है और जिस हल के लिए दुनिया परेशान व चिंतित है वह हल केवल इस्लामी व्यवस्था में है, यह खुदाई निज़ाम हर धर्म, वर्ग और बिरादरी के मानने वालों के लिए इन्साफ़ का हामिल, हर हुकूमत के लिए मार्गदर्शक और इस्खिलाफ़ का आसान व कुदरती हल है।

हरम करवा हुआ

ਮੁਹਮਦ ਨਫੀਸ ਖਾਂ ਨਦਰੀ

शाह सलमान ने जनवरी 2015 में सत्ता संभाली तो रियासत से बाहर “शहज़ादा मुहम्मद” को शायद ही कोई जानता था, शाह सलमान ने पहले शाही फ्रमान में अपने उत्तराधिकारियों का ऐलान किया। शहज़ादा मकरन को हटाकर शहज़ादा मुहम्मद बिन नाएफ़ को उत्तराधिकारी घोषित किया और अपने बेटे शहज़ादा मुहम्मद बिन सलमान के लिए नए पद का निर्माण किया और उसे “नाएब वली अहद” (उप-उत्तराधिकारी) नामज़द कर दिया। शहज़ादा मुहम्मद बिन सलमान को नाएब वली अहद के अलावा उप प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, शाही दरबार का इंचार्ज और सऊदी तेल कम्पनी आरामको (ARAMCO) के बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया गया।

मार्च 2017 में नाएब वली अहद शहज़ादा मुहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी राष्ट्रपति ट्रम्प से वाइट हाउस में लंच पर मुलाकात की। यह एक असाधारण मुलाकात थी, जिसका नतीजा 21 जून को सामने आया, जब शहज़ादा मुहम्मद बिन नाएफ़ को न सिर्फ़ तमाम पदों से हटाया गया उत्तराधिकारी के पद से भी हटाकर मुहम्मद बिन सलमान को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया और नाएब वली अहद का फ़रमाइशी ओहदा भी ख़त्म कर दिया गया।

उत्तराधिकारी बनते ही मुहम्मद बिन सलमान ने शाह सलमान तक अहम लोगों की रसाई सीमित कर दी और बिना किसी के शिरकत के सत्ता के मालिक बन बैठे।

मुहम्मद बिन सलमान की ज़हनी व फ़िक्री तरबियत पश्चिमी सांचे में हुई थी। अरबी लबादे में एक ख़ालिस पश्चिमी शहज़ादे ने जब सत्ता पर क़ब्ज़ा हासिल किया, पश्चिमी सोच व नज़्रिये की सरहदें खुद ब खुद मिट्टी चली गयीं और पूरे देश में अश्लीलता तथा नग्नता को

रिवाज पाने का अवसर मिल गया ।

मुहम्मद बिन सलमान ने कौम के सामने “विज़न 2030” नाम से एक नया प्रोजेक्ट पेश किया जिसका मक्सद सऊदी अर्थव्यवस्था का तेल पर निर्भरता कम करना तथा टूरिज्म के नाम पर देश में अश्लीलता तथा अय्याशी पर आधारित आयोजन के द्वारा विदेशियों को आकर्षित करके मुद्रा एक्सचेंज करना है जैसे संयुक्त राष्ट्र अरब (यूएई) कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए रेगिस्तान में आधे खरब डालर की लागत से बड़ा शहर बसाने की भी योजना बनाई है जहां औरतों और मर्दों को एक-दूसरे से मिलने-जुलने की मुकम्मल आज़ादी होगी। आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि सऊदी अरब की इस बेहयाई को मीडिया ‘रोशन ख्याली’ का नाम दे रहा है।

सऊदी अरब दुनिया भर में मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र धरती की हैसियत रखता है, खासकर हिजाज़—ए—मुक़द्दस के खिले में बैतुल्लाह और मस्जिद—ए—नबवी भी स्थित है, इसके अलावा भी इस्लामी इतिहास से जुड़े सैकड़ों पवित्र स्थल हैं, यही कारण है कि सऊदी अरब में अश्लीलता व नग्नता तथा दूसरे बेकार के कामों से हमेशा सख्ती से निपटा जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ अर्से से सऊदी अरब में ऐसी शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं जिनके कारण मुस्लिम उम्मत अत्यधिक चिंतित है।

हिजाज़—ए—मुक़द्दस पर सुधार के नाम से जुए के अड्डे बनाए जा रहे हैं, माडलिंग की सरपरस्ती की जा रही है, नाच—गाने की महफिलें सजाई जा रही हैं, नगनता, अश्लीलता तथा बेहयाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरे शब्दों में सऊदी अरब अपनी विशेषता खोता जा रहा है और हरम व मरिजद—ए—नबवी के कस्टोडियन और खादिमुल हरमैन होने की वजह से

उसमें जो मिसाली शाखिसयत और कायदाना हैसियत थी ख़त्म होती जा रही है। “अम्र बिल मारुफ़” के बजाए “अम्र बिल मुनकरात” पर ताकत खर्च हो रही है। पश्चिमी सभ्यता तथा पश्चिमी मूल्यों को बिना किसी सवाल के कुबूल किया जा रहा है बल्कि उनको रिवाज दिया जा रहा है।

समन्दर के किनारों पर ऐसे तफ़रीहगाहें बनायी जा रही हैं जहां और मामूली और आधे-आधे कपड़े पहनकर जा सकेंगी। परदा जो एक इस्लामी पहचान थी वह सऊदी हुक्मरानों की अकलों पर पड़ गया है, पूरी कौम मौज-मस्ती में डूब गयी है। हद यह है कि हिजाज़—ए—मुक़द्दस को जिन उलमा—ए—दीन ने इस्लामी शिक्षाओं की खुल्लम—खुल्ला धज्जी उड़ने पर विरोध किया उनके खिलाफ़ मुक़द्दमे किए गए और गिरफ़तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया।

सऊदी अरब में अब बड़े पैमाने पर आमोदपूर्ण आयोजन देखने को मिलते हैं। इन आयोजनों के बहुत से दृश्य अब भी असाधारण लगते हैं। पिछले चार सालों में देश के 13 राज्यों में से 9 राज्यों में लगभग 44 सिनेमाहाल खुल चुके हैं। एक ऐसा देश जहां कुछ सालों पहले तक पब्लिक प्लेस पर म्यूज़िक मना थी वहां अब रात भर तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक फेरिटवल होता है और लोगों की बड़ी संख्या उसमें शामिल होती है। अतीत के सऊदी अरब में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था।

मुहम्मद बिन सलमान क़रीबी लोगों का कहना है कि देश इस समय बड़े बदलाव से गुज़र रहा है। यह बदलाव अब भी अपने शुरुआती दौर में है। बदलाव की इस रफ़तार को अभी और तेज़ करने की ज़रूरत है ताकि सऊदी शहजादे के “विज़न 2030” योजना की पूर्ति हो सके। जब तक यह बदलाव ‘नार्मल’ नहीं बन जाते तब तक लोगों को सब्र से काम लेना होगा।

हिजाज़—ए—मुक़द्दस की अज़मत और उससे ईमानी ताल्लुक की बुनियाद पर हर साहबे ईमान उन हुक्मरानों की कार्यवाहियों पर परेशान भी है और हैरत में भी है।

हैरानी की बात यह है कि अश्लीलता व बेहयाई का जो तूफ़ान मग्रिब ने आज़ादी व रोशन ख्याली के नाम

पर बरपा किया था और जिसे शायद आज सऊदी शासकों ने उनकी तरक़ी का राज समझा है। इसकी तबाही के अमली तर्जुबे के बाद मग्रिब के पोप व पादरी नहीं बल्कि हुक्मती व सियासी हल्के तक उससे सख्त परेशान हैं। अश्लीलता व नग्नता की न मिटने वाली भूख के नतीजे में पश्चिमी कौमों के हर वर्ग में व्यापारिक सोच, मुनाफ़ाखोरी और मौक़ा परस्ती की कैफ़ियत पैदा है और लूट-खसोट का ऐसा बाज़ार गर्म है कि अख़लाक का मसला बिल्कुल निगाहों से ओझल हो चुका है और पूरा पश्चिमी समाज हलाकत व तबाही की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पिछले साल सत्ताइस देशों पर आधारित यूरोपीय यूनियन की पार्लायमेंट में “कमेटी आन वूमेन राइट्स एंड जेन्डर इक्वेलिटी” की ओर से एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें पश्चिमी समाज विशेषकर प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया में औरतों का हयासोज़ अंदाज़ पेश करने को उनकी बेइज़ती और लैंगिक असमानता पर आधारित रवैया घोषित कर दिया गया, और इस पर पूरी तरह से पाबन्दी लगाने का सुझाव पेश किया गया। इससे यह हकीक़त साफ़ हो जाती है कि बेहयाई के कल्वर ने पश्चिमी समाज को गंभीर परिस्थितियों में डाल रखा है।

विश्लेषकों का कहना है कि पश्चिम का यह वह उगला हुआ निवाला जिसे आज अरब शासक निगलने की कोशिश कर रहे हैं, “रोशन ख्याली” के नाम से जिस फ़िल्मे ने आज अरब की धरती पर क़दम रखा है, इसमें यहूदियों और ईसाईयों की दिलचस्पी और उनका मार्गदर्शन व सरपरस्ती भी शामिल है, उनकी इच्छा है कि अरबों में ज़हनी व तहज़ीबी इरतिदाद, पुरानी जाहिलियत की ओर पेशक़दमी और दीन पर अक़ीदा व अमल में लापरवाही पैदा कर सकें, और हो सके तो फिर उनको इस्लाम से पहले कि अरब जाहिलियत की तरफ़ वापस ला सकें, जिसका यह मग्रिबी और मसीही कायदीन सदियों से ख्वाब देख रहे हैं। यह मन्सूबा बड़ा नाज़ुक और गोपनीय है। इसको समझने के लिए आलम—ए—अरबी को ज़हानत तथा दूरदर्शिता की ज़रूरत है, दीनी व ईमानी फ़रासत की भी और तारीख के बड़े पैमाने पर अध्ययन की भी।

બધાજું કી અહિમયત

મૌಲાના મુફ્તી તકી ઉદ્માની સાહબ

“કામયાબી કી સબસે પહલી શર્ત ઔર કામયાબી કા સબસે પહલા રાસ્તા યહ હૈ કિ ઇન્સાન ન સિર્ફ નમાજ પઢે બલ્ક નમાજ મેં ખુશ્શૂઅ અર્થિતયાર કરે, કયોંકિ નમાજ એસી ચીજ હૈ કિ કુરાન કરીમ મેં અલ્લાહ તાલા ને 62 સે જ્યાદા જગહોં પર ઇસકા હુકમ દિયા। હાલાંકિ અગર અલ્લાહ તાલા એક બાર હુકમ દે દેતે તો ભી કાફી થા, લેકિન નમાજ કે બારે મેં 62 બાર હુકમ દિયા કિ નમાજ કાયમ કરો, ઇસકે જરિએ ઇસ હુકમ કી અહિમયત બતાના મકસૂદ હૈ કિ નમાજ કો મામૂલી કામ મત સમજો ઔર યહ ન સમજો કિ યહ રોજમરા કી રૂટીન કી એક મામૂલી ચીજ હૈ।”

આજકલ હમારે સમાજ મેં એક ગુમરાહી ફેલ ગઈ હૈ, વહ યહ હૈ કિ લોગોં કે દિમાગ મેં યહ બાત આ ગઈ હૈ કિ બહુત સે ઐસે કામ હૈં જો નમાજ સે જ્યાદા અહિમયત રખતે હૈં, ખાસ તૌર પર યહ બાત ઉન લોગોં કે અન્દર પૈદા હો ગઈ હૈ જો દીન કે કામ મેં લગે હુએ હૈં, દાવત વ તલ્લીગ્ર કા કામ કર રહે હૈં, જિહાદ કા કામ કર રહે હૈં, સિયાસત કા કામ કર રહે હૈં, યહ લોગ યહ સમજાતે હૈં કિ હમ બહુત બડા કામ કર રહે હૈં, લિહાજા ચૂંકિ હમ બડા કામ કર રહે હૈં, ઇસલિએ અગર કભી ઇસ બડે કામ કી ખાતિર નમાજ છૂટ ગઈ યા નમાજ મેં કમી આ ગઈ યા કોઈ નક્સ વાકેઅ હો ગયા તો કોઈ હર્જ કી બાત નહીં, કયોંકિ હમ ઉસસે બડે કામ મેં લગે હુએ હૈં, હમ દાવત વ તલ્લીગ્ર કે કામ મેં ઔર અમૃ બિલ મારૂફ ઔર નહીં અનિલ મુનકર કે કામ મેં લગે હુએ હૈં, જિહાદ કે કામ મેં લગે હુએ હૈં ઔર સિયાસત કે કામ મેં લગે હુએ હૈં, ઇસલિએ અગર હમારી જમાઅત છૂટ જાએગી તો હમ ઘર મેં નમાજ પઢ લેંગે ઔર અગર નમાજ કા વક્ત નિકલ ગયા તો કઝા પઢ લેંગે, યાદ રખિએ! યહ બડી ગુમરાહી વાલી સોચ હૈ।

હજરત ઉમર (રઝિ0) સે જ્યાદા દીન કા કામ કરને વાલા કૌન હોગા? ઉનસે બડા સિયાસત જાનને વાલા કૌન હોગા? ઉનસે બડા જિહાદ કરને વાલા કૌન હોગા? ઉનસે બડા દાયી ઔર ઉનસે બડા મુબલિલગ કૌન હોગા? લેકિન વહ અપને તમામ ફરમાંરવાઓં કે બાકાયદા યહ ફરમાન જારી કર રહે હૈં કિ મેરે નજદીક તુમ્હારે સબ કામોં મેં સબસે અહમ ચીજ નમાજ હૈ। અગર તુમને ઉસકી હિફાજત કી તો તુમ્હારે ઔર ભી કામ ઠીક હોંગે ઔર અગર ઉસકો જાયા કર દિયા તો તુમ્હારે ઔર કામ ભી ખરાબ હોંગે।

તુમ અપનેઆપ કો કાફિરોં પર કયાસ મત કરના, ગૈરમુસ્લિમોં પર કયાસ મત કરના ઔર યહ મત સોચના કિ ગૈર મુસ્લિમ ભી તો નમાજ નહીં પઢ રહે હૈં, મગર તરક્કી કર રહે હૈં, દુનિયા મેં ઉનકા ડંકા બજ રહા હૈ, ખુશહાલી ઉનકા મુકદ્દર બની હુર્રી હૈ ઔર દુનિયા કે અન્દર ઉનકી તરક્કી કે તરાને પઢે જા રહે હૈં | યાદ રખો! તુમ અપનેઆપ કો ઉન પર કયાસ મત કરના, અલ્લાહ ને મોમિન કા મિજાજ ઔર મોમિન કા તરીકા—એ—જિન્દગી કાફિર કે મુકાબલે મેં બિલ્કુલ મુખ્તાલિફ કરાર દિયા હૈ, કુરાન કરીમ કા કહના હૈ કિ મોમિન કો કામયાબી નહીં મિલ સકતી જબ તક વહ ઉન કામોં પર અમલ ન કરે જો બયાન કિએ ગએ હૈં ઔર ઉનમેં સબસે પહલા કામ નમાજ હૈ।”





R.N.I. No.
UPHIN/2009/30527

Monthly
ARAFAT KIRAN
Raebareli

Issue: 01

January 2022

Volume: 14



Editor: Bilal Abdul Hai Hasani Nadvi

MARKAZUL IMAM ABIL HASAN AL-NADWI

Dare Arafat, Takiya Kalan, Raebareli, U.P.
Mobile: 9565271812
E-Mail: markazulimam@gmail.com
www.abulhasanalnidwi.org

Printed & Published by: Mohammad Hasan Nadwi
On Behalf of: Markazul Imam Abil Hasan Al-Nadwi
Printed at S.A. Offset Printers, Masjid ke peeche, Phatak
Abdullah Khan, Sabzi Mandi, Station Road, Raebareli, U.P.